[2021] 1 एस. सी. आर. 78

मावेली सेवा सहयोगात्मक

बैंक लिमिटेड. & ओआरएस।

वी.

आय कर, कालीकट और ए. एन. आर. के आयुक्त।

(2019 की सिविल अपील Nos.7343-7350)

12 जनवरी, 2021

[आर. एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: s.80P (2)-'प्राथमिक कृषि ऋण' के रूप में पंजीकृत सहकारी समितियों के लिए कटौती

एस के तहत कटौती के लिए कृषि और संबद्ध उद्देश्य दावा। 80 पी (2) (ए)-क्या निर्धारिती एस की शुरूआत के बाद ऐसी कटौती के हकदार हैं। 80 पी (4) एस द्वारा। 19 वित्त अधिनियम, 2006 डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2007-आयोजितः निर्धारिती एस में निहित कटौती के लाभ के हकदार हैं। 80 पी (2) (ए) (आई), इसके बावजूद कि वे अपने सदस्यों को ऐसे ऋण भी दे रहे हैं जो कृषि से संबंधित नहीं हैं - यदि यह पाया जाता है कि गैर-सदस्यों को दिए गए ऋण के उदाहरण हैं, तो ऐसे ऋणों के कारण होने वाले लाभ में कटौती नहीं की जा सकती है।

आय कर अधिनियम, 1961: s.80P (2)-लाभकारी प्रावधान-आयोजितः s.80P को सह को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ समझा जाना चाहिए। ऑपरेटिव आंदोलन आम तौर पर - s.80P, संसद द्वारा क्रेडिट को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित एक परोपकारी प्रावधान होने के नाते

सामान्य तौर पर सहकारी क्षेत्र को उदारतापूर्वक और यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि कोई अस्पष्टता है, तो निर्धारिती के पक्ष में-किसी भी प्रतिबंध या सीमा के संदर्भ के बिना दी गई कटौती को निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में राजस्व द्वारा "कृषि" शब्द को जोड़कर किया जाना चाहिए। 80 पी (2) (ए) (आई) जब यह नहीं है-इसके अलावा, s.80P (4) को एक परंतुक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसके परंतुक में अब विशेष रूप से सहकारी बैंकों को शामिल नहीं किया गया है जो बैंकिंग व्यवसाय में लगी सहकारी समितियां हैं।

' केरल अधिनियम के तहत ऐसे नाममात्र सदस्यों को दिए गए ऋण एस के तहत कटौती के उद्देश्य के लिए योग्य होंगे। 80 पी (2) (ए) (आई) इस प्रकार, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा ऋण देना गैर-सदस्य अवैध नहीं है-कानूनों की व्याख्या।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 80 पी की व्याख्या।

धारा 80 पी का सीमांत नोट जिसमें लिखा है "सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती" प्रावधान के सामान्य "विचलन" को इंगित करता है। दूसरा, पात्रता के उद्देश्यों के लिए

कटौती, निर्धारिती को एक "सहकारी समिति" होना चाहिए। एक सहकारी समिति को आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (19) में परिभाषित किया गया है कि वह सहकारी समिति के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 या सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी भी राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत। इसलिए, यह केवल 1912 के अधिनियम या उसके तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति के तथ्य को संदर्भित करता है।

राज्य का कानून। पात्रता के प्रयोजनों के लिए, इस बारे में आगे जांच करना अनावश्यक है कि सहकारी समिति को एक्स या वाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं। तीसरा, सकल कुल आय में ऐसी आय शामिल होनी चाहिए जो इसका उल्लेख उप-धारा (2) में किया गया है। चौथा, उपखंड (2) (ए) (आई) तब एक सहकारी समाज के बारे में बताता है जो आगे बढ़ने में "संलग्न" है।

बैंकिंग या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने का व्यवसाय। महत्वपूर्ण उपखंड (2) (ए) (आई) क्या है

कि सहकारी समिति को अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने में "संलग्न" होना चाहिए। पाँचवाँ, बोझ उस पर है

निर्धारिती को तथ्यों को जोड़कर यह दिखाने के लिए कि वह दावा करने का हकदार है

धारा 80 पी के तहत कटौती। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आई. टी. अधिनियम के तहत मूल्यांकन अधिकारी किसी भी पंजीकरण प्रमाण पत्र के पीछे जा रहा है जब वह एक तथ्य-जांच में संलग्न होता है कि क्या संबंधित सहकारी समिति वास्तव में श्रेय प्रदान कर रही है।

इसके सदस्यों को सुविधाएँ। इस तरह की तथ्य खोज जांच (आई. टी. अधिनियम की धारा 133 (6) देखें) में सहकारी समिति के सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करना शामिल होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वास्तव में अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। एक बार जब यह कार्य निर्धारिती द्वारा पूरा कर लिया जाता है,

ऐसे तथ्यों पर भरोसा करके जो यह दर्शाते हैं कि वह अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, मूल्यांकन अधिकारी को तब इसकी जांच करनी चाहिए, और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है। छठा, "अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना" शब्द का मतलब कृषि नहीं है।

अकेले क्रेडिट। धारा 80 पी के एक लाभकारी प्रावधान होने का अर्थ सहकारी आंदोलन [2021] 1 एस. सी. आर. को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया जाना चाहिए।

कटौती की गई। सातवाँ, धारा 80पी (2) (सी) यह भी स्पष्ट करती है कि धारा 80पी सहकारी आंदोलन से संबंधित है। आम तौर पर और इसलिए, जिस क्षण एक सहकारी समिति 1912 के अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है, और ऐसी गतिविधियों में लगी होती है जिन्हें अवशिष्ट गतिविधियाँ कहा जा सकता है, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो उपखंड (ए) और (बी) द्वारा कवर नहीं की जाती हैं, या तो स्वतंत्र रूप से या उन गतिविधियों के अलावा, तो ऐसी गतिविधि के लिए जिम्मेदार लाभ और लाभ भी काटे जाने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन

उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा। उपखंड (ग) की पहुंच है -

अत्यंत व्यापक, और इसमें किसी भी गतिविधि में लगी सहकारी समितियां शामिल होंगी, जो उल्लिखित गतिविधियों से पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी।

उपखंड (ए) और (बी) में, उपखंड (सी) (ii) में पाए जाने वाले आई. एन. आर. 50,000/- की सीमा के अधीन। यह किसी भी तर्क के लिए भुगतान करता है कि धारा 80पी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक सहकारी

एक बार एक विशेष प्रकार के समाज के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, समाज को केवल उन उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखना चाहिए। यदि ऐसी वस्तुएँ केवल

आंशिक रूप से की गई और सोसायटी किसी अन्य वैध प्रकार की गतिविधि का संचालन करती है, ऐसी सहकारी समिति उपखंड के तहत केवल Rs.50,000/- की अधिकतम कटौती की हकदार होगी।

(सी)। आठवाँ, उपखंड (घ) भी उसी दिशा में इंगित करता है, उस ब्याज या लाभांश आय में जो एक सहकारी समिति द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा प्राप्त की जाती है।

वी. आय कर आयुक्त, कालीकट

अन्य सहकारी समितियों के साथ निवेश से, ऐसी पूरी आय में कटौती करने के भी हकदार हैं, प्रावधान का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना है -

पूरा। [पैरा 27,28,29,30,32-35] [117-E-F; 118-A-E; 119-D-H; 120-A-H; 121-A]

केरल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड

और ओआरएस। वी. सी. आई. टी. (1998) 5 एस. सी. सी. 48: [1998] 3 एससीआर 443;

के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और

एन. आर. (1981) 4 एससीसी 173: [1982] 1 एससीआर 629;

आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम। पोन्नी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड (2008) 9 एससीसी 337 [2008] 13

एस. सी. आर. 570; उदयपुर सहकारी उपकार थोक भंडार

लिमिटेड वी. सीआईटी (2009) 8 एससीसी 393 [2009] 11 एससीआर 90

- पर भरोसा किया।

सहायक आयकर आयुक्त v. ए के मेनन

और ओआरएस। (1995) 5 एससीसी 200: [1995] 2 पूरक। एससीआर

181 ; टाइटन मेडिकल सिस्टम्स (पी) लिमिटेड बनाम कलेक्टर

सीमा शुल्क, नई दिल्ली (2003) 9 एस. सी. सी. 133; वाडिलाल केमिकल्स लिमिटेड बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। (2005) 6 एससीसी

292 [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

2. धारा 80 पी (4) का सीमित उद्देश्य सह को बाहर करना है।

सक्रिय बैंक जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर काम करते हैं अर्थात जो जनता के सदस्यों को धन उधार देते हैं। इस प्रकार, यदि अब बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को देखा जाए, तो धारा 56 के साथ पठित धारा 3 से जो स्पष्ट है वह यह है कि एक प्राथमिक सहकारी

बैंक एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) द्वारा परिभाषित बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए,

जिसका अर्थ है ऋण या निवेश के उद्देश्य से स्वीकार करना। जनता से धन जमा करना। इसी तरह, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) (बी) के तहत, जो सहकारी समितियों पर लागू होती है, कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी, जब तक कि वह एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो। इसके विपरीत, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति एक सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को कृषि उद्देश्यों या संबंधित उद्देश्यों के लिए वित्तीय आवास प्रदान करना है।

कृषि गतिविधियों के साथ। [पैरा 39] [122-डी-जी] [2021] 1 एस. सी. आर.

3. आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी एक हितकारी प्रावधान है।

सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र के ऋण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित को उदारता से और यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि अस्पष्टता है, तो निर्धारिती के पक्ष में। एक कटौती जो किसी भी प्रतिबंध के संदर्भ के बिना दी जाती है

या सीमा को निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि है

केरल अधिनियम के तहत 'सदस्य' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नाममात्र सदस्यों को दिए गए ऋण के लिए अर्हता प्राप्त होगी धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती का उद्देश्य। इस प्रकार, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा गैर-सदस्यों को ऋण देना।

सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के तथ्यों के विपरीत अवैध नहीं है। [पारस 45-47] [127-डी-एच; 128-ए-सी; जी-एच]

नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड v. आसिस्टेंट। सी. आई. टी. हैदराबाद (2017) 9 एस. सी. सी. 364: [2017] 9 एससीआर 361-प्रतिष्ठित।

सी. आई. टी., मैसूर बनाम इंडो मर्केंटाइल बैंक [1959] सप। (2) एस. सी. आर. 256; त्रिभुवनदास हरिभाई तंबोली बनाम। गुजरात

राजस्व न्यायाधिकरण (1991) 3 एस. सी. सी. 442 [1991] 2 एस. सी. आर. 802; जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कारखानों और बॉयलर के मुख्य निरीक्षक (1996) 6 एस. सी. सी. 665: [1996] 6 पूरक। एस. सी. आर. 798; भारत संघ बनाम। दिलीप कुमार सिंह (2015) 4 एस. सी. सी. 421 [2015] 2 एस. सी. आर. 882; बी. शमा राव बनाम। केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी [1967] 2 एस. सी. आर. 650; उड़ीसा राज्य बनाम। सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य। [1968] 2

एस. सी. आर. 154 पर भरोसा किया।

द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, कालीकट

यू. पी. सहकारी केन यूनियन फेडरेशन लिमिटेड,

लखनऊ बनाम। आयकर आयुक्त, लखनऊ-I

(1997) 11 एस. सी. सी. 287; दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य

[1979] 3 एस. सी. आर. 1059; चिरक्कल सेवा सहकारी

बैंक लिमिटेड बनाम सीआईटी (2016) 384 आईटीआर 490 (केरल);

पेरिथलमन्ना सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड v. आईटीओ

और एन. आर. (2014) 363 आईटीआर 268 (केरल); असम

सहकारी एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड असम बनाम

अतिरिक्त आय कर आयुक्त, असम (1994)

सप. (2) एस. सी. सी. 96-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1994) सप. (2) एससीसी 96

संदर्भित किया गया है

पैरा

16

[1967] 2 एससीआर 650

उस पर भरोसा करें

पैरा

23

[1968] 2 एससीआर 154

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

[1979] 3 एससीआर 1059

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1982] 1 एससीआर 629

उस पर भरोसा करें

पैरा

27

[2008] 13 एससीआर 570

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

[1995] 2 पूरक। एससीआर 181

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

(2003) 9 एससीसी 133

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[2005] 2 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[2009] 11 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[1998] 3 एससीआर 443

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[1959] सप. (2) एससीआर 256

उस पर भरोसा करें

पैरा

41

[1991] 2 एससीआर 802

उस पर भरोसा करें

पैरा

42

[1996] 6 पूरक। एससीआर 798

उस पर भरोसा करें

पैरा

43

[2015] 2 एससीआर 882

उस पर भरोसा करें

पैरा

44

(1997) 11 एस. सी. सी. 287

संदर्भित किया गया है

पैरा

46

[2017] 9 एससीआर 361

प्रतिष्ठित

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 7343

7350 2019 से।

उच्च न्यायालय के 19.03.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

केरल के एर्नाकुलम में आई. टी. ए. सं. 97 2016 का, 2017 का 11 और 69 और 2017 का 72 से 76।

के साथ

2019 की सिविल अपील सं. 8315 और सिविल अपील सं.

2021 का

(@ एस. एल. पी. (सी) नं. _____ 2021 की) (2019 की डायरी संख्या 31268)।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., श्याम दीवान, अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम.

गिरीश कुमार, अरुण राज एस., अंकुर एस. कुलकर्णी, रंजीत बी. मरार, सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, बीजू विग्नेश्वर, सुश्री सुरभी संतोष, राहुल उन्नीकृष्णन, अरुण पूमुली, बीजू विग्नेश्वर, सुश्री सुरभी संतोष, सुश्री मीरा एम., सुश्री गार्गी खन्ना, पी. वी. योगेश्वरन, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. आई. ए. नं. 192273 और 2019 के 192277 की अनुमति है। छोड़ दें।

2019 की डायरी No.31268 से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका में दी गई।

2. ये अपीलें सहकारी समितियों द्वारा दायर की गई हैं जो

एक 'बहु-राज्य सहकारी समिति' के साथ 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियों' के रूप में पंजीकृत किए गए हैं, और उन कटौती के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं जिनका आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') की धारा 80पी (2) (ए) (आई) के तहत दावा किया जा सकता है; और विशेष रूप से, क्या ये निर्धारिती वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की धारा 19 द्वारा आईटी अधिनियम की

धारा 80 पी (4) के लागू होने के बाद ऐसी कटौती के हकदार हैं। शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि ये सभी निर्धारिती, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं

कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए, केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 ("केरल अधिनियम") के तहत सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और आईटी अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती का दावा कर रहे थे, जो उन्हें मूल्यांकन वर्ष 2007-08 तक दी गई थी।

3. हालाँकि, आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी. (4) की शुरूआत के साथ,

परिदृश्य बदल गया। हमारे समक्ष निर्धारिती के संबंध में, मूल्यांकन द माविली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.] अधिकारी ने धारा 80 पी (4) पर भरोसा करते हुए कटौती के उनके दावों को अस्वीकार कर दिया।

आई. टी. अधिनियम में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इन मामलों में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित रसीद और संवितरण विवरण के अनुसार, निर्धारिती-समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिए गए कृषि ऋण, ऐसे सदस्यों को दिए गए ऋण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए न के बराबर पाए गए।

केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष, निर्धारिती ने चिरक्कल सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। सीआईटी (2016) 384 आई. टी. आर. 490 (केरल), जहां मूल्यांकन को चुनौती देने वाली अपीलों का एक समूह है।

आई. टी. अधिनियम की धारा 143 (3)/144 के साथ पठित धारा 147 के तहत पूरा किया गया, उच्च न्यायालय ने आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी (4), केरल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, समितियों के उपनियमों आदि पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार एक सहकारी समिति का गठन किया जाता है।

केरल अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा एक प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी के रूप में वर्गीकृत, आई. टी. अधिनियम के तहत अधिकारी इस बात की जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या ऐसी समितियों द्वारा वास्तव में अपने सदस्यों को कृषि क्रेडिट दिए जा रहे थे, जिससे इस तरह से दिए गए प्रमाण पत्र के पीछे जा रहे थे। यह मामला होने के कारण, चिरक्कल (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि सभी निर्धारिती प्राथमिक कृषि ऋण संघों के रूप में पंजीकृत थे, इसलिए वे आयकर अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के साथ पठित धारा 80 पी (4) के तहत कटौती के हकदार होंगे।

4. हालांकि, विभाग ने तर्क दिया कि चिरक्कल (उपरोक्त) में निर्णय पर ध्यान नहीं दिया गया था

पेरिथलमन्ना सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम में केरल उच्च न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ का पूर्व निर्णय। आई. टी. ओ. और एन. आर. (2014) 363 आई. टी. आर. 268 (के. आर.), जहां आई. टी. अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेशों को चुनौती देने वाली एक अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुनरीक्षण प्राधिकरण को यह कहने में उचित ठहराया गया था कि क्या एक सहकारी बैंक वास्तव में एक सहकारी बैंक के रूप में व्यवसाय कर रहा है और न कि एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में, और इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या यह प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए ऐसा था, मूल्यांकन अधिकारी तब आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी के तहत दावा की गई कटौती की अनुमति या अस्वीकृति देगा, इसके बावजूद कि केवल

केरल अधिनियम के तहत जारी किए गए नामकरण या पंजीकरण प्रमाण पत्र से पता चलेगा कि निर्धारिती प्राथमिक कृषि ऋण संघ हैं। इन अलग-अलग फैसलों के कारण केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ को 09.07.2018 दिनांकित एक संदर्भ आदेश दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ, विवादित द्वारा

आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और केरल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को संदर्भित करते हुए 19.03.2019 दिनांकित निर्णय में कहा गया कि

कृषि क्रेडिट सोसायटी केरल अधिनियम के तहत पंजीकृत है, फिर भी, मूल्यांकन अधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि विशेष मूल्यांकन में वर्ष इसका मुख्य उद्देश्य, वास्तव में, किया जा रहा है। यदि यह पाया जाता है कि

वास्तव में कृषि ऋण की राशि नगण्य राशि है, तो यह निर्धारण अधिकारी के लिए खुला रहेगा, जो आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी. (4) के प्रावधानों को लागू करते हुए यह बताएगा कि सहकारी समिति के रूप में यह विचाराधीन है।

यद्यपि एक प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी के रूप में पंजीकृत है-में नहीं है

वास्तव में, इस तरह से कार्य करते हुए, आईटी अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत दावा की गई कटौती को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष संदर्भित करने के बाद निकला था

कई निर्णयों के लिए, लेकिन सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करना। आसिस्टेंट। सीआईटी, हैदराबाद (2017) 9 एससीसी 364। इस प्रकार, पूर्ण पीठ का निष्कर्ष इस प्रकार था:

" 33. नागरिक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए

सहकारी समिति [397 आई. टी. आर. 1] यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि, एक निर्धारिती समिति द्वारा किए गए दावे पर विचार करते समय आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती, इसकी उप-धारा (4) के लागू होने के बाद, मूल्यांकन अधिकारी को केवल केंद्रीय या राज्य सहकारी समिति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार समाज के वर्ग को देखते हुए उपलब्ध लाभों का विस्तार करना होता है। आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती के इस तरह के दावे पर, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती सोसायटी की गतिविधियों के बारे में तथ्यात्मक स्थिति की जांच करनी होती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि क्या लाभों का विस्तार किया जा सकता है।

धारा 80 पी की उप-धारा (4) के तहत प्रावधान। 34.चिरक्कल [384 आई. टी. आर. 490] में डिवीजन बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता समितियों को के. सी. एस. अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए कि ऐसी समितियों का प्रमुख उद्देश्य कृषि

ऋण गतिविधियों को शुरू करना और कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करना है, ऐसे ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर माविली सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर होनी चाहिए।

वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

के. सी. एस. अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के पंजीयक और जिनके संचालन का क्षेत्र किसी गांव, पंचायत या निकाय तक सीमित है।

नगरपालिका और इस तरह, वे उप के लाभ के हकदार हैं

आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी की धारा (4) धारा 80 पी के दायरे से खुद को बाहर करने के लिए और यह कि आई. टी. अधिनियम के तहत अधिकारी ऐसी समितियों से संबंधित किसी भी मुद्दे या ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकते हैं और के. सी. एस. अधिनियम के तहत पंजीकृत और इस तरह वर्गीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, अपीलकर्ताओं सहित उस अधिनियम के तहत ऐसी छूट के हकदार हैं।

ऑपरेटिव सोसाइटी [397 आई. टी. आर. 1] डिवीजन द्वारा निर्धारित कानून पेरिथलमन्ना में बेंच [363 आईटीआर 268] की पुष्टि की जानी है और हम करते हैं।

उसकी उप-धारा (4) का कारण, यदि निर्धारिती सोसायटी समितियों का वह निर्दिष्ट वर्ग नहीं रह जाता है जिसके लिए कटौती की जाती है। बशर्ते कि यह प्रारंभिक वर्षों में पात्र था।

पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्न का उत्तर ऊपर दिया गया है। रजिस्ट्री उपयुक्त पीठ के समक्ष अपीलों को सूचीबद्ध करेगी। सूची "।

6. पूर्ण पीठ के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी अब हमारे सामने है।

21] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. निर्धारिती की ओर से आरोप का नेतृत्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया है कि आईटी अधिनियम की धारा 80 पी (4) के आने से अपीलार्थी निर्धारिती के संबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने हमें धारा 80 पी के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित विभिन्न प्रावधानों और केरल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ हमारे सामने कुछ निर्धारिती के उप-कानूनों के बारे में विस्तार से पढ़ा। धारा 80 पी (1) और (2) की भाषा पर आधारित उनका मुख्य तर्क यह है कि

उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत है, चाहे उसका वर्गीकरण कुछ भी हो, जब तक कि यह अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है-जो कृषि से संबंधित ऋण सुविधाएं होने की आवश्यकता नहीं है-यह निम्नलिखित में निहित कटौती का हकदार है - आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी (2) (ए) (आई)। इसलिए, कटौती की पात्रता और क्या पूरी राशि के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

ऐसे किसी एक या अधिक व्यवसाय से होने वाले लाभ और लाभ

धारा 80 पी में उप-धारा (4) पेश करके संशोधन किया गया कि संशोधन का उद्देश्य धारा 80 पी (1) और (2) से सहकारी बैंकों को हटाना था क्योंकि ऐसे बैंक, किसी भी अन्य वाणिज्यिक बैंक की तरह, आम जनता के सदस्यों को ऋण राशि दे रहे हैं और इसलिए, केवल सहकारी बैंक होने के नाते, इसका लाभ उठाने के हकदार नहीं होने चाहिए। धारा 80 पी के तहत दी गई कटौती।

कृषि ऋण समिति को धारा 80 पी (4) से बाहर होने के लिए किसी भी तरह से धारा में निहित लाभकारी प्रावधान में कटौती नहीं करनी चाहिए। 80 पी (1) और (2), धारा 80 पी (4) के रूप में एक परंतुक की प्रकृति में है जो मुख्य अधिनियमन भाग में कटौती नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में, उन्होंने तर्क दिया कि

एक बार जब केरल अधिनियम के तहत पंजीयक द्वारा एक पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि निर्धारिती एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, तो केरल अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत इस तरह के प्रमाण पत्र को रद्द नहीं किया जाता है, मूल्यांकन अधिकारी, जो राजस्व संग्रह के उद्देश्यों के लिए एक प्राधिकरण है, संभवतः इस बात में नहीं जा सकता है कि क्या वास्तव में, समिति एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति बनी हुई है। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया। वह भी।

एक परिपत्र पर भरोसा किया गया, जो परिपत्र 14/2006 दिनांकित 28.12.2006 है जिसमें वित्त अधिनियम, 2006 के व्याख्यात्मक नोट और केंद्र के पत्र शामिल हैं।

बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ("सीबीडीटी") दिनांक 09.05.2008, दोनों ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी सहकारी समिति को सहकारी बैंक नहीं कहा जा सकता है, तो धारा 80 पी (4) के प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होगा।

8. श्री दीवान की दूसरी व्यापक दलील यह थी कि केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा।

नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड (ऊपर)। उन्होंने तर्क दिया कि यदि फैसले को बारीकी से देखा जाए, तो सभी कर निर्धारकों की कानूनी दलीलों का उनके पक्ष में जवाब दिया गया। हालाँकि, तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उस मामले में सहकारी समिति अवैध रूप से व्यवसाय करती थी, अर्थात नाममात्र सदस्यों को ऋण देकर, जिनके पास उस क़ानून के तहत कोई स्थान नहीं था जिसके तहत वह पंजीकृत थी, और आम जनता के सदस्यों को भी ऋण दे रही थी, इसलिए इसे एक सहकारी समिति बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप नीचे दिए गए सभी अधिकारियों के तथ्य के निष्कर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। कोई तर्क नहीं था, न ही

क्या उस मामले में न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला गया था कि मूल्यांकन अधिकारी किसी विशेष क़ानून के तहत दिए गए प्रमाण पत्र के पीछे जाने का हकदार है।

वास्तव में, उन्होंने बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और केरल अधिनियम दोनों के तहत, यदि किसी समाज को प्राथमिक कृषि ऋण समिति बनाम सहकारी बैंक के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यह केवल भारतीय रिजर्व बैंक है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत इस तरह के विवाद का फैसला करेगा और सहकारी समितियों के पंजीयक, जो केरल सहकारी (2021) 1 एस. सी. आर. के नियम 15 के तहत वर्गीकरण पर निर्णय लेंगे।

सोसायटी नियम 1969। इस प्रकार, उनके अनुसार, सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय धारा 80 पी (4) की प्रयोज्यता पर सीधे उनके मुवक्किल के पक्ष में है, जिसे पूर्ण पीठ ने पूरी तरह से छोड़ दिया है।

9. कुछ कर निर्धारकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार ने श्री दीवान की दलीलों का समर्थन किया और तर्क दिया कि सभी सहकारी समितियां, एक बार राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के बाद, धारा 80 पी के तहत कटौती के हकदार हैं। कटौती की सीमा विशेषता पर निर्भर करेगी न कि योग्यता पर।

कटौती। एक बार जब यह पाया जाता है, तो वर्तमान मामले में आर. बी. आई. द्वारा जारी किए गए पत्रों के संबंध में जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थियों को सह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एक बार जब यह पाया जाता है कि सहकारी बैंकों के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए हैं, तो ये सभी समितियां धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं, धारा 80 पी (4) जिसका कोई आवेदन नहीं है क्योंकि वे सहकारी बैंक नहीं हैं और उन्हें सहकारी बैंक नहीं कहा जा सकता है।

10. राजस्व की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने विद्वानों द्वारा की गई सभी दलीलों का खंडन किया।

मूल्यांकनकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता। उनके अनुसार, पूर्ण पीठ ने यह कहते हुए पूरी तरह से सही कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में केवल पंजीकरण का प्रमाण पत्र से कोई लाभ नहीं होगा। मूल्यांकन के लिए विचाराधीन वर्ष में, मूल्यांकन अधिकारी को संतुष्ट होना पड़ता है कि निर्धारिती एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में गतिविधियों में "संलग्न" है अर्थात अपने सदस्यों को कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए ऋण देने में। उन्होंने कुछ मूल्यांकन अधिकारियों के आदेशों से इस तथ्य को पढ़ा कि उपरोक्त समितियों द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण नगण्य थे, मुख्य व्यवसाय बैंकिंग का था, क्योंकि ऐसे ऋण उद्देश्यों के लिए दिए गए थे।

कृषि ऋण के अलावा। उन्होंने अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए विभिन्न अधिनियमों, नियमों और उप-कानूनों को भी खूब पढ़ा कि वास्तव में, चूंकि अपीलकर्ता अब प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के रूप में व्यवसाय नहीं कर रहे थे, इसलिए धारा 80 पी (4) के आने के बाद वे धारा 80 पी के तहत किसी भी कटौती के हकदार नहीं होंगे। उनके अनुसार, राज्य अधिनियम के तहत एक सहकारी समिति का वर्गीकरण, जिसे आई. टी. अधिनियम की धारा 2 (19) में स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया है, प्राथमिक महत्व का है, और एक बार प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, यह केवल तभी होगा जब कृषि से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया जाए कि कटौती के लिए पात्रता पहली जगह धारा 80 पी (1) और (2) के तहत उत्पन्न होगी। धारा 80 पी का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि चिरक्कल

(उपरोक्त) में डिवीजन बेंच को कानूनी रूप से सही माना जाता है, तब भी, माविली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की गतिविधियों में लगे होने के बावजूद।

वी. आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.] कृषि ऋण के अलावा, एक ऐसा समाज जो किसी भी कटौती के योग्य नहीं है

फिर भी आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी. (4) द्वारा जो प्राप्त करने की मांग की गई थी, उसके विपरीत ऐसी कटौती प्राप्त होगी। उनके अनुसार, सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था।

पूर्ण पीठ द्वारा पढ़ा गया, एक मूल्यांकन अधिकारी को किसी मामले के वास्तविक तथ्यों तक पहुंचने की अनुमति देने के रूप में ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति की गतिविधियाँ वास्तव में, विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष में की जा रही थीं। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने आई. टी. अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लेख किया, जो किसी भी मामले के तथ्यों की जांच की बहुत बड़ी शक्तियां देते हैं और विशेष रूप से, आई. टी. अधिनियम की धारा 133 (6) पर निर्भर करते हैं। उन्होंने इस न्यायालय के कई फैसलों पर भी भरोसा किया जो यह दर्शाते हैं कि केवल प्राथमिक कृषि के रूप में पंजीकरण

क्रेडिट सोसाइटी पर्याप्त नहीं है, अभिव्यक्ति "संलग्न" का अर्थ है कि ऐसे समाज पर साल-दर-साल अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने का निरंतर दायित्व होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करता है, तो वह धारा 80 पी (4) के तहत किसी भी कटौती का हकदार नहीं होगा। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए आगे तर्क दिया कि प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष में तथ्यों द्वारा यह स्थापित करने का बोझ निर्धारिती पर है कि वह कटौती का हकदार है।

धारा 80 पी के तहत; और यदि वह यह दिखाने के लिए तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि वह वास्तव में विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में अपना व्यवसाय कर रहा है, तो वह इस तरह के बोझ का निर्वहन नहीं करेगा, और इसलिए, धारा 80 पी के तहत किसी भी कटौती का लाभ उठाने में असमर्थ होगा। उन्होंने वर्ष 2017 की कुछ आर. बी. आई. प्रेस विज्ञप्ति पर भी भरोसा किया, जिसमें जनता को ऐसे समाजों के साथ व्यवहार नहीं करने के लिए आगाह किया गया था, जो हालांकि बिना लाइसेंस के हैं, लेकिन वास्तव में बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं। 11. निर्धारिती के साथ-साथ राजस्व के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले आयकर अधिनियम की धारा 2 (19) और 80 पी निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, जो निम्नानुसार है:

" 2. इस अधिनियम में, संदर्भ में अन्यथा आवश्यक है:

सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के तहत या सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी भी राज्य में तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत। " 80 पी. सहकारी की आय के संबंध में कटौती

समाज। (1) जहाँ, एक निर्धारिती के सहकारी समिति होने के मामले में, सकल कुल आय में कोई भी आय [2021] 1 एस. सी. आर. शामिल है।

उप-धारा (2) में निर्दिष्ट, निर्धारिती की कुल आय की गणना में, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट राशियों की कटौती की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राशियाँ निम्नलिखित होंगी:

अर्थात्: (क) एक सहकारी समिति के मामले में जिसमें

(i) बैंकिंग का व्यवसाय करना या ऋण प्रदान करना।

अपने सदस्यों के लिए सुविधाएँ, या

((ख) एक कुटीर उद्योग, या ((ग) अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए कृषि उत्पादों का विपणन,

या

((iv) अपने सदस्यों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से कृषि के लिए कृषि उपकरणों, बीजों, पशुधन या अन्य वस्तुओं की खरीद; या (v) बिजली की सहायता के बिना कृषि का प्रसंस्करण

इसके सदस्यों का उत्पादन, या

((vi) अपने सदस्यों के श्रम का सामूहिक निपटान, या (vii) मछली पकड़ना या उससे संबंधित गतिविधियाँ, यानी मछली पकड़ना, ठीक करना, प्रसंस्करण, संरक्षण, भंडारण या विपणन या

इसके संबंध में सामग्री और उपकरणों की खरीद

अपने सदस्यों को उनकी आपूर्ति करने के उद्देश्य से,

ऐसी गतिविधियों में से किसी एक या अधिक के लिए जिम्मेदार व्यवसाय के लाभ और लाभ की पूरी राशि:

बशर्ते कि उपखंड (vi) या उपखंड (vii) के तहत आने वाली सहकारी समिति के मामले में, समाज के नियम और उप-कानून इसके निम्नलिखित वर्गों के लिए मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं। सदस्य, अर्थात्:

(1) वे व्यक्ति जो अपने श्रम का योगदान करते हैं या, जैसा भी मामला हो, मछली पकड़ने या संबद्ध गतिविधियों को जारी रखते हैं; (2) सहकारी ऋण समितियाँ जो वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं

समाज की सहायता करना;

(3) राज्य सरकार; अविलयी सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड। वी.

एसएसआईओएनआर ऑफ इनकम टैक्स, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]) एक सहकारी समिति के मामले में, जो अपने सदस्यों द्वारा उगाए गए या उगाए गए दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी एक प्राथमिक समिति है,

(i) एक संघीय सहकारी समिति, जो दूध, तिलहन, फलों की आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है, या

सब्जियाँ, जैसा भी मामला हो; या

((ख) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी; या ((ग) धारा 617 में परिभाषित एक सरकारी कंपनी

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम (एक कंपनी या निगम जो दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी हुई है, जैसा भी मामला हो)

सार्वजनिक),

ऐसे व्यवसाय के लाभ और लाभ की पूरी राशि;) खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट गतिविधियों (या तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी गतिविधि से स्वतंत्र रूप से या उसके अतिरिक्त) के अलावा अन्य गतिविधियों में संलग्न किसी सहकारी समिति के मामले में, उसके लाभों और लाभों का इतना हिस्सा -

ऐसी गतिविधियाँ जो अधिक न हों,

((i) जहां ऐसी सहकारी समिति उपभोक्ता सहकारी समिति है।

ऑपरेटिव सोसाइटी, एक लाख रुपये; और

((ii) किसी भी अन्य मामले में, पचास हजार रुपये।

योजना बनाना। इस खंड में, "उपभोक्ता सहकारी समिति"

इसका अर्थ है उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक समाज;

ओ ब्याज या लाभांश के रूप में किसी भी आय के संबंध में

सहकारी समिति द्वारा किसी अन्य सहकारी समिति के साथ अपने निवेश से प्राप्त, ऐसी पूरी आय;

) सहकारी समिति द्वारा वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन की सुविधा के लिए गोदामों या गोदामों को किराए पर देने से प्राप्त किसी भी आय के संबंध में,

ऐसी पूरी आय;

ओ एक सहकारी समिति के मामले में, एक आवास नहीं होने के नाते

सोसायटी या शहरी उपभोक्ता सोसायटी या परिवहन व्यवसाय करने वाली सोसाइटी या बिजली की सहायता से किसी भी विनिर्माण संचालन के प्रदर्शन में लगी सोसाइटी, जहां [2021] 1 एस. सी. आर.

सकल कुल आय बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी भी आय की राशि या घर की संपत्ति से कोई आय देय नहीं है।

धारा 22 के तहत।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शहरी उपभोक्ता सहकारी समाज" का अर्थ है -

निगम, नगरपालिका, नगरपालिका समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र या छावनी।

(3) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती भी कटौती का हकदार है

धारा 80 एचएच या धारा 80 एचएच या धारा 80 एचएचबी के तहत या

धारा 80 एचएचसी या धारा 80 एचएचडी या धारा 80-I या धारा 80

आई. ए., इस धारा की उप-धारा (1) के तहत कटौती, उप-धारा (2) के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट राशियों के संबंध में, आय के संदर्भ में अनुज्ञात की जाएगी, यदि

कोई भी, जैसा कि सकल कुल में शामिल उन खंडों में संदर्भित है धारा 80 एचएच, धारा के तहत कटौती द्वारा घटाई गई आय

एच. एच. ए., धारा 80 एच. एच. बी., धारा एच. एच. सी., धारा 80 एच. एच. डी., धारा

80 - I, धारा 80-IA, धारा 80J और धारा 80JJ।

(4) इस धारा के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) "सहकारी बैंक" और "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (10) के भाग 5 में दिया गया है।

1949 का);

(ख) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" से ऐसा समाज अभिप्रेत है जिसका कार्य क्षेत्र किसी तालुक तक सीमित हो और जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना हो।

गतिविधियाँ "।

12. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों का इन मामलों के तथ्यों पर प्रभाव भी इस प्रकार है -बनाम ः

मावेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 3. कुछ मामलों में सहकारी समितियों पर लागू होने के लिए अधिनियम। इस अधिनियम में कुछ भी लागू नहीं होगा

(क) एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति; (ख) एक सहकारी भूमि बंधक बैंक; और

(ग) भाग 5 में निर्दिष्ट तरीके और सीमा को छोड़कर कोई अन्य सहकारी समिति।

" 56. संशोधनों के अधीन सहकारी समितियों पर लागू होने के लिए अधिनियम। इस अधिनियम के प्रावधान, जो कुछ समय के लिए लागू हैं, सहकारी समितियों पर या उनके संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे बैंकिंग कंपनियों पर या उनके संबंध में लागू होते हैं, जो निम्नलिखित संशोधनों के अधीन होंगे, अर्थात्:

(क) इस अधिनियम के दौरान, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

(i) एक "बैंकिंग कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के संदर्भों को एक के संदर्भ के रूप में माना जाएगा

सहकारी बैंक,

((ii) "इस अधिनियम के प्रारंभ" के संदर्भों को बैंकिंग के प्रारंभ के संदर्भों के रूप में माना जाएगा।

विधि (सहकारी समितियों पर लागू) अधिनियम, 1965 (1965 का 23);

(ख) धारा 2 में, शब्द और आंकड़े "कंपनी अधिनियम,

1956 (1 1956 का), और "हटा दिया जाएगा;

((ग) धारा 5 में -

(i) खंड (सी. सी.) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे।

अर्थात्:

((ग) "सहकारी बैंक" से राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक अभिप्रेत है।

बैंक;

भूमि बंधक बैंक;

((ग) "सहकारी समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो किसी केंद्रीय अधिनियम [2021] 1 एस. सी. आर. के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी गई हो।

बहु-राज्य सहकारी समितियों, या सहकारी समितियों से संबंधित किसी अन्य केंद्रीय या राज्य कानून से संबंधित कुछ समय के लिए लागू;

((ग) "बहु-राज्य सहकारी बैंक" से एक बहु-राज्य सहकारी समिति अभिप्रेत है जो एक प्राथमिक सहकारी बैंक है। ((ग) "बहु-राज्य सहकारी समिति" से ऐसा बहु-राज्य सहकारी समिति अभिप्रेत है जो किसी भी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो।

बहु-राज्य सहकारी समितियों से संबंधित कुछ समय के लिए केंद्रीय अधिनियम लागू है, लेकिन इसमें एक राष्ट्रीय सहकारी समिति और एक संघीय सहकारी समिति शामिल नहीं है।

((ग) "प्राथमिक कृषि ऋण समिति" से एक सहकारी समिति अभिप्रेत है,

(1) जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय है - अपने सदस्यों को वित्तीय समायोजन प्रदान करना

कृषि उद्देश्यों या संबंधित उद्देश्यों के लिए कृषि गतिविधियाँ (फसलों के विपणन सहित);

और (2) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं:

बशर्ते कि यह उपखंड किसी सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में प्रवेश पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक शेयर की सदस्यता लेता है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की पूंजी;

(सी. सी. वी.) "प्राथमिक सहकारी बैंक" से एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा एक सहकारी समिति अभिप्रेत है,

बैंकिंग व्यवसाय का लेनदेन है; (2) चुकता शेयर पूँजी और जिसके भंडार

एक लाख रुपये से कम नहीं हैं; और कैवेली सेवा सहकारी बैंक एल. टी. आई.

एसएसआईओएनआर ऑफ इनकम टैक्स, कालीकट [आर. एफ. नारीमाई

(3) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं:

बशर्ते कि यह उपखंड किसी सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में प्रवेश पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता लेता है। उद्देश्य;

(सी. सी. वी. आई.) "प्राथमिक ऋण समिति" का अर्थ है एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा एक सहकारी समिति,

(2) जिसकी चुकता शेयर पूंजी और भंडार एक लाख रुपये से कम हैं; और (3) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं:

बशर्ते कि यह उपखंड किसी सहकारी बैंक के सदस्य के रूप में प्रवेश पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों में से ऐसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी की सदस्यता लेता है।

स्पष्टीकरण। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है किसी भी कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय

खंड (सी. सी. आई. वी.), (सी. सी. वी.) और (सी. सी. वी. आई.) में निर्दिष्ट परिचालन समिति, रिजर्व द्वारा उसका निर्धारण

बैंक अंतिम होगा।

(सी. सी. वी. आई.) "केंद्रीय सहकारी बैंक", "प्राथमिक ग्रामीण ऋण समिति" और "राज्य सहकारी बैंक" के पास होगा -

राष्ट्रीय में उन्हें क्रमशः दिए गए अर्थ

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (61 1981 का); "

5. जहाँ तक केरल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का संबंध है

एड, निम्नलिखित प्रावधान प्रासंगिक हैं:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम

" 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, (च) "सहकारी समिति" या "समिति" से इस अधिनियम के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली सहकारी समिति अभिप्रेत है;

XXX XXX XXX

(1) " सदस्य का अर्थ है किसी सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होने वाला व्यक्ति या इस अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के अनुसार ऐसे पंजीकरण के बाद सदस्यता में प्रवेश लेने वाला व्यक्ति और इसमें एक नाममात्र या सहयोगी शामिल है।

सदस्य;

XXX XXX XXX

("नाममात्र या सहयोगी सदस्य" से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसके पास केवल ऐसे सदस्य के विशेषाधिकार और अधिकार हैं जो केवल किसी सदस्य की ऐसी देनदारियों के अधीन है जो उपनियमों में निर्दिष्ट की जा सकती हैं;

XXX XXX XXX

(ओ. ए. ए.) "प्रधान कृषि ऋण समिति" से एक सेवा सहकारी समिति, एक सेवा सहकारी बैंक, एक किसान सेवा सहकारी बैंक और एक ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि ऋण गतिविधियों को शुरू करना और कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करना है, ऐसे ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर पंजीयक द्वारा निर्धारित दर होगी और जिसका संचालन क्षेत्र किसी गांव, पंचायत या नगर पालिका तक सीमित होगा।

बशर्ते कि संचालन के क्षेत्र के संबंध में प्रतिबंध केरल सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1999 (2000 का 1) के प्रारंभ पर मौजूद समितियों या बैंकों पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि उपरोक्त प्रमुख उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो ऐसी समितियां प्राथमिक कृषि की सभी विशेषताओं को खो देंगी। मौजूदा कर्मचारियों की संख्या को छोड़कर अधिनियम, नियमों और उपनियमों में निर्दिष्ट क्रेडिट सोसायटी।

XXX XXX XXX मावेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(oc) "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण "विकास बैंक" से ऐसा समाज अभिप्रेत है जिसका कार्य क्षेत्र किसी तालुक तक सीमित हो और जिसका प्रमुख उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना हो।

बशर्ते कि किसी भी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को एक से अधिक तालुकों में संचालन क्षेत्र वाली मौजूदा समितियों की संपत्तियों और देनदारियों के विभाजन के बिना पंजीकृत नहीं किया जाएगा और समितियां इस तरह के विभाजन पर संबंधित समाज के क्षेत्र में अपने संचालन को प्रतिबंधित करेंगी। " 3. पंजीयक। - (1) सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों का पंजीयक नियुक्त कर सकती है।

(2) सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को इसके तहत पंजीयक की सभी या किसी भी शक्ति प्रदान कर सकती है।

एक्ट करें।

4. समितियाँ जिन्हें पंजीकृत किया जा सकता है। - विषय के अधीन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक सहकारी समिति जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों या सहकारी सिद्धांतों के अनुसार जनता के हितों को बढ़ावा देना है, या ऐसी समिति के संचालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित समिति को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है:

XXX XXX XXX 7. पंजीकरण करें। - (1) यदि पंजीयक आवेदन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर संतुष्ट हो जाता है

(क) कि आवेदन इस के प्रावधानों का पालन करता है

अधिनियम और नियम;

(ख) कि प्रस्तावित समाज के उद्देश्य तदनुसार हैं।

(ग) कि प्रस्तावित सोसायटी के संचालन का क्षेत्र और समान प्रकार के किसी अन्य सोसाइटी के संचालन का क्षेत्र एक दूसरे से मेल नहीं खाता है;

((घ) प्रस्तावित उप-कानून प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं।

इस अधिनियम और नियमों के; और

(ङ) कि प्रस्तावित सोसायटी सुदृढ़ व्यवसाय की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, वह प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर सोसाइटी और उसके उपनियमों को पंजीकृत कर सकता है।

आवेदन से।

(2) जहां पंजीयक किसी समिति को पंजीकृत करने से इनकार करता है, वह ऐसे आदेश के सात दिनों के भीतर कारणों के साथ इनकार के आदेश को ऐसे आवेदकों को सूचित करेगा जो निर्धारित किए जाएं।

(3) सोसायटी के पंजीकरण के लिए आवेदन का निपटान पंजीयक द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा। (4) जहां किसी सोसायटी के पंजीकरण के लिए आवेदन का निपटारा उप-धारा (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है, वहां आवेदक एक अभ्यावेदन कर सकता है -

(क) पंजीयक के समक्ष, यदि पंजीकरण के लिए आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जिसे धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत पंजीयक की शक्तियां प्रदान की जाती हैं; या

(ख) सरकार के समक्ष, यदि पंजीकरण के लिए आवेदन

पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है,

और, यथास्थिति, पंजीयक या सरकार, ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, संबंधित प्राधिकारी को पंजीकरण के लिए आवेदन पर उचित निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी करेगी और संबंधित प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

8.पंजीकरण प्रमाण पत्र। - (1) जहां इस अधिनियम के तहत कोई सहकारी समिति पंजीकृत है, वहां पंजीयक अपने हस्ताक्षरित और मुहरबंद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो निर्णायक होगा।

इस बात का प्रमाण कि उक्त सोसायटी इस अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां पंजीयक संतुष्ट है कि मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र मवाली सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड है।

वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अपरिवर्तनीय रूप से खो गया और डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका क्योंकि सहकारी समिति के पंजीकरण से संबंधित फाइलें या रिकॉर्ड खो गए थे, पंजीकरण के बाद, पंजीयक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र में उपलब्ध विवरण और पंजीयक के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें पंजीकरण संख्या और सहकारी समिति के पंजीकरण की तारीख बताई जाएगी।

उसके द्वारा हस्ताक्षरित और सील किया गया, जो निर्णायक प्रमाण होगा कि उक्त सोसायटी विधिवत पंजीकृत है और इसे पंजीकरण प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा।

नियम

" 15. प्रकारों के अनुसार समाजों का वर्गीकरण। - इसके बाद

किसी सोसायटी का पंजीकरण करने के लिए पंजीयक उप-कानूनों में दिए गए मुख्य उद्देश्य के अनुसार सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार में वर्गीकृत करेगा:

प्रकार

उदाहरण

ऋण समितियाँ

अल्पकालिक/मध्यम अवधि

केरल राज्य सहकारी

(1) एपेक्स

बैंक लिमिटेड

(2) केंद्रीय

जिला सहकारी बैंक

(क) प्राथमिक कृषि ऋण

(3) प्राथमिक

सोसायटीज, सर्विस कंपनी

सक्रिय बैंक, क्षेत्रीय

सहकारी बैंक, ग्रामीण

सहकारी बैंक, शहरी

सहकारी समितियाँ,

कृषि सुधार

समाज

(ख) कर्मचारी

क्

रेडिट

समाज

XXX XXX XXX ध्यान दें: - (i) यदि किसी सोसायटी के वर्गीकरण के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसे निर्णय और उसके निर्णय के लिए पंजीयक को भेजा जाएगा।

उस पर अंतिम होगा। ((ii) यदि पंजीयक किसी समाज के वर्गीकरण को समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में या उसके उप वर्ग से दूसरे वर्ग में बदल देता है, तो [2021] 1 एस. सी. आर.

वह सोसायटी और वित्तपोषण बैंक को अपनी एक प्रति जारी करेगा।

आदेश और सोसायटी प्रभावी रूप से उस श्रेणी के अंतर्गत आएगी।

उस आदेश की तारीख से "।

14. बहस के दौरान हमसे पहले की कुछ समितियों के उपनियमों का भी उल्लेख किया गया था। माविलयी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के उप-कानूनों का एक नमूना सेट, विशेष रूप से उप-कानून 5, जो उपरोक्त सोसायटी के उद्देश्यों का उल्लेख करता है, निम्नानुसार प्रदान करता है:

" उपनियम 5. वस्तुएँ।

1. इस प्राथमिक कृषि ऋण समिति का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को कृषि उद्देश्यों, कृषि उपज के विपणन और अन्य कार्यों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

कृषि को बढ़ावा देना।

3. प्राथमिकता वाले क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करना। 4. कृषि, व्यापार, लघु उद्योग आदि के विकास के लिए ऋण प्रदान करना।

5. कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करना। 6. बीज, उर्वरक, कीटनाशकों की खरीद और आपूर्ति,

उपकरण।

7. विपणन समितियों के माध्यम से या सीधे लाभ सदस्यों के लिए उर्वरकों और औद्योगिक उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करना।

8. गोदामों या गोदामों के भवनों का निर्माण या उन्हें किराए पर देना

सदस्यों के कृषि उत्पादों को रखना।

9. सदस्यों को नए प्रकार के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करना।

पौधें।

10. सदस्यों को किराए पर देने के लिए नई नवीन मशीनों और उपकरणों जैसे पावर टिलर, ट्रैक्टर आदि की खरीद और रखरखाव।

11. मवेशियों, बकरियों की बेहतर नस्लों की खरीद और वितरण,

मावेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सदस्यों को मुर्गी पालन आदि। वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

12. किसानों के लिए किसान संघ का गठन और कार्यप्रणाली।

13.नाबार्ड के पंजीयक या ऐसी किसी विशेष योजना के अनुसार अल्पकालिक, मध्यम अवधि, दीर्घकालिक ऋण और स्वीकृत ऋण प्रदान करें।

संस्थाएँ समाज के सदस्य।

14. सदस्यों के बीच मितव्ययिता, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक सहायता आदि की आदत को बढ़ावा देना और इसका निर्माण और कार्यान्वयन करना।

संबंधित योजनाएं। विभिन्न प्रकार की जमाओं को जुटाना सदस्यों से।

15. स्व-नियोजित लोगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें ताकि वे लाभप्रद तरीके से व्यवसाय कर सकें।

16. प्रचलित नियमों के अनुसार सभी बैंकिंग संचालन करें।

समय-समय पर।

17. किसी भी भवन का निर्माण या किराया देना और अग्रिम रूप से किराया प्राप्त करना।

और बैंक के सुचारू संचालन के लिए सामग्री में परिवर्तन। पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से परिसंपत्तियों की खरीद।

18.बैंक की अपनी इमारतें दूसरों को किराए पर देना।

19.उचित मूल्यों पर जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद और आपूर्ति के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना, मेले की दुकानें खोलना और उपभोक्ता स्टोर से वस्तुओं का व्यापार करना जिसके लिए पंजीयक द्वारा निर्देश दिया गया है।

22. एल. आई. सी. के प्रीमियम, बिजली बोर्ड, दूरसंचार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किराए के संग्रह में एक एजेंट के रूप में कार्य करें। 23. सहकारी शिक्षा और अभियानों का आयोजन करके अधिक से अधिक लोगों को सहकारी संस्थानों से जोड़ना।

24.जिला सहकारी बैंकों, सरकार और पंजीयक द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थानों से धन उधार लेना।

25. चेक, बिल या ड्राफ्ट या जमा रसीद के संग्रह जैसी सेवाएं प्रदान करना।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. पंजीयक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार चेक, बिल या ड्राफ्ट पर छूट देना और एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देना।

27. सदस्यों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी निधियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना। सदस्यों और कर्मचारियों के लिए सामान्य सदस्यता राशि एकत्र करना और जमा करना और प्रत्येक वर्ष वार्षिक लाभ से सामान्य निकाय द्वारा आवंटित राशि उस निधि में जमा करना। नियम को लागू करने के लिए पंजीयक की मंजूरी अनिवार्य है।

28.ओवरड्राफ्ट सुविधा, वाहन ऋण, घरेलू उपकरणों या फर्नीचर की खरीद या घरों के निर्माण, घरों की मरम्मत या संपत्ति की खरीद के लिए ऋण प्रदान करना। उप नियम बनाया जाना चाहिए और इन उद्देश्यों के लिए पंजीयक की मंजूरी अनिवार्य है।

31. कर्मचारियों, ग्राहकों और सदस्यों की सुविधा के लिए नई सुविधाओं को लागू करना। 32. निर्माण सामग्री, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति जैसी एजेंसी सेवाओं को प्रदान करना।

33. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एस. सी. बी. या डी. सी. बी. या अन्य संस्थाओं द्वारा शुरू की गई कोई अन्य गतिविधियाँ अधिनियम के अनुसार की जानी चाहिए।

34.स्थानीय निकायों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा उनके लिए ऋण प्रदान करने के लिए तैयार की गई विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करना और उन्हें पूरा करना। 35. सभागारों को बाहर जाने देना।

36. सदस्यों को घर बनाने या खरीदने, घरों के नवीनीकरण या भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करना। 37. एक्वेरियम, बच्चों के पार्क, रिसॉर्ट आदि जैसी नई योजनाओं को तैयार करना और लागू करना और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई पहल करना।

39. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एन. सी. डी. सी. और अन्य सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकार करना। सरकारी एजेंसियां।

द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

40. समाज में पुस्तकालय की स्थापना करना।

41. लघु उद्योग इकाई स्थापित करना।

42. संघ योजना या अन्य में भागीदार या नेता बनना

केंद्र या राज्य सरकार या कंपनी द्वारा सुझाई गई योजनाएं

उनकी स्वीकृति के साथ।
43. स्व-सहायता के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण जैसे लिंकेज ऋण, नकद ऋण और अन्य अल्पकालिक ऋण जैसे मुत्तथे मुल्ला आदि प्रदान करना।

समूह और कुदुम्बश्री "।

15. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि विचाराधीन प्राथमिक कृषि समाज का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है

कृषि और संबंधित उद्देश्यों के लिए अपने सदस्यों को ऋण का रूप, फिर भी,

कुछ उद्देश्य बहुत आगे जाते हैं, और इनमें बैंकिंग का प्रदर्शन शामिल है। "समय-समय पर प्रचलित नियमों के अनुसार" संचालन, मेडिकल स्टोर खोलना, शोरूम चलाना और सदस्यों को ऋण प्रदान करना।

कृषि के अलावा अन्य उद्देश्य।

16. इस मोड़ पर, धारा 80पी में निहित प्रावधानों पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। यह न्यायालय शुरू हुआ

असम कोऑपरेटिव एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड में गलत पैर पर। असम बनाम। अतिरिक्त आयकर आयुक्त, असम (1994) सप. (2) एससीसी 96। इस मामले में अदालत के समक्ष सवाल यह था कि क्या असम सहकारी शीर्ष विपणन समिति

लिमिटेड आई. टी. अधिनियम की धारा 81 (आई) (सी) के तहत छूट का हकदार था, जैसा कि तब था, धान और अन्य कृषि उपज की खरीद से उत्पन्न आय के संबंध में। फैसले के पैराग्राफ 6 में धारा 81 इस प्रकार दी गई है:

" 81. सहकारी समितियों की आय। आयकर नहीं लगेगा

एक सहकारी समिति द्वारा देय होगा -

((i) उसके द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभों और लाभों के संबंध में, यदि -

(क) बैंकिंग का व्यवसाय करने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने में लगी एक संस्था; या

((ख) कुटीर उद्योग में संलग्न समाज; या

((c) कृषि के विपणन में लगी एक सोसायटी

इसके सदस्यों का उत्पादन; या [2021] 1 एस. सी. आर.

((घ) कृषि उपकरणों, बीजों, पशुधन या अन्य वस्तुओं की खरीद में लगी हुई संस्था।

अपने सदस्यों को उनकी आपूर्ति करने के उद्देश्य से कृषि;

या

(ङ) अपने सदस्यों की कृषि उपज की शक्ति की सहायता के बिना प्रसंस्करण में लगी एक संस्था; या

(च) एक प्राथमिक समाज जो अपने द्वारा उठाए गए दूध की आपूर्ति में लगा हुआ है।

संघीय दुग्ध सहकारी समिति के सदस्य:

बशर्ते कि किसी सहकारी समिति के मामले में जो इस खंड में उल्लिखित गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में भी लगी हुई है, इसमें निहित कुछ भी उसके लाभ और लाभ के उस हिस्से पर लागू नहीं होगा जो ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और पंद्रह हजार रुपये से अधिक है।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि केवल सदस्यों द्वारा उत्पादित कृषि उपज इस तरह की कटौती का हकदार होगा। इसने आगे कहा कि यह उद्देश्य कृषि उपज का व्यापार करने वाले व्यापारियों तक नहीं फैल सकता है, ताकि यदि कृषि उपज सदस्यों द्वारा अन्य किसानों से खरीदी जाती है, लेकिन ऐसे सदस्य द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है, तो ऐसी उपज कटौती के योग्य नहीं होगी।

18. इस फैसले के तुरंत बाद, केरल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ। वी. सीआईटी

(1998) 5 एस. सी. सी. 48 ने उपरोक्त निर्णय को खारिज कर दिया। इस मामले में अदालत के समक्ष जो सवाल उठा वह वही सवाल था जो असम कोऑपरेटिव एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड असम में उठा था।

(उपर्युक्त), प्रावधान का अवतार, हालांकि, आईटी अधिनियम की धारा 80पी (2) (ए) (iii) में बदल गया है। इस न्यायालय ने धारा 80पी के दायरे में आने वाली समितियों के वर्गों को स्थापित करने के बाद यह निर्णय दिया:

" 7. हम देख सकते हैं कि यह प्रावधान देश के आर्थिक जीवन में सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए और घोषित प्रावधानों के अनुसरण में पेश किया गया है।

सरकार की नीति। इस खंड में उल्लिखित छूट के विभिन्न शीर्षों को पढ़ने का सही तरीका यह होगा कि प्रत्येक को छूट के एक अलग और विशिष्ट शीर्ष के रूप में माना जाए। जब भी कोई सवाल उठता है कि क्या आय की कोई विशेष श्रेणी माविली सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड है।

वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक सहकारी समिति को कर से छूट दी गई है, यह देखना होगा कि क्या आय इसके कई शीर्षों में से किसी के भीतर आती है। छूट। यदि यह छूट के किसी एक शीर्ष के भीतर आता है, तो यह कर से मुक्त होगा, भले ही छूट के दूसरे शीर्ष की शर्तें पूरी नहीं होती हैं और ऐसी आय छूट के उस शीर्ष के तहत कर से मुक्त नहीं है। अभिव्यक्ति "विपणन" है

व्यापक महत्व की अभिव्यक्ति। इसमें खरीद और बिक्री जैसे विनिमय कार्य, भंडारण जैसे भौतिक कार्य शामिल हैं।

परिवहन, प्रसंस्करण और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ जैसे मानकीकरण, वित्तपोषण, विपणन खुफिया आदि। इस तरह की गतिविधियों को प्राथमिक समाज के बजाय एक शीर्ष समाज द्वारा चलाया जा सकता है। 8. जब तक निर्धारिती द्वारा नियंत्रित कृषि उपज उसके सदस्यों की थी, तब तक वह उसके विपणन से प्राप्त लाभ के संबंध में छूट का हकदार था। क्या सदस्य अपनी कृषि गतिविधियों के कारण उपज से आए थे या क्या उन्होंने इसे किसानों से खरीदकर प्राप्त किया था, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई परिणाम नहीं था कि क्या

निर्धारिती छूट का हकदार था। छूट के लिए निर्धारिती की आय को अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह थी कि निर्धारिती का व्यवसाय विपणन का होना चाहिए, विपणन कृषि उपज का होना चाहिए और यह कि कृषि उपज निर्धारिती-सोसायटी के सदस्यों की होनी चाहिए, इससे पहले कि वे उसके द्वारा विपणन के लिए आए, चाहे वह स्वयं के खाते में हो या स्वयं सदस्यों के कारण। इस प्रकार छूट को सीमित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सहकारी समितियाँ कृषि उपज के विपणन में लगी हुई हैं, इसके दोनों सदस्य भी गैर-सदस्यों के रूप में। बाद के मामले में, एक सहकारी समिति या किसी अन्य व्यावसायिक संगठन के बीच कोई अंतर नहीं है और इसलिए छूट का हकदार नहीं होगा। इस छूट का उद्देश्य उन सभी मामलों को शामिल करना है जिनमें एक सहकारी समिति लगी हुई है।

अपने सदस्यों की कृषि उपज का विपणन करना। धारा 80 पी (2) (ए) (iii) प्रभावी रूप से केवल सदस्यों द्वारा उठाए गए कृषि उत्पादों के लिए छूट के दायरे को सीमित नहीं करता है, लेकिन इसमें शामिल हैं

अन्य लोगों द्वारा उगाई गई लेकिन सहकारी समितियों से संबंधित कृषि उपज। उक्त प्रावधान में विरोधाभास समाज के सदस्यों या गैर-सदस्यों से खरीदी गई कृषि उपज के विपणन के संदर्भ में है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. अधिनियम की धारा 80-पी के प्रावधानों को पढ़ने से

उस तरीके को इंगित करें जिसमें उक्त के तहत छूट दी गई है।

प्रावधानों को बढ़ाने की मांग की गई है। जब भी विधायिका छूट को प्राथमिक सहकारी समिति तक सीमित रखना चाहती थी

यह इस प्रकार स्पष्ट किया गया था जैसा कि एक दुग्ध सहकारी समिति के संदर्भ में ऊपर निर्दिष्ट खंड (च) से स्पष्ट है कि

दूध की आपूर्ति करने में लगी सोसायटी इस तरह की छूट का हकदार है, जबकि संघीय दूध सहकारी समिति को इससे इनकार किया जाता है, लेकिन बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में ऐसा कोई भेद नहीं किया जाता है जो अपने सदस्यों को व्यापार सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा छूट के दायरे को केवल उन लोगों तक सीमित करने का नहीं था जो प्राथमिक समाज हैं। यदि एक छोटी कृषि सहकारी समिति के पास कोई विपणन सुविधा नहीं है तो वह निश्चित रूप से एक शीर्ष समिति का सदस्य बन सकती है जो अपने सदस्यों की उपज का विपणन कर सकती है। विभाग की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि सदस्य समितियाँ स्वयं यह मुद्दा नहीं उठाती हैं कृषि उपज। समितियाँ केवल अपने सदस्यों द्वारा उगाई गई उपज का विपणन करती हैं और स्वयं कृषि नहीं करती हैं।

उत्पादन करें। धारा 80-पी (2) (ए) (iii) में अपनाई गई भाषा, जिससे हम संबंधित हैं, इस व्याख्या को स्वीकार करेगी कि -

अपने कृषि उत्पादों के विपणन में लगी सोसायटी

सदस्य कृषि उपज के रूप में इसके सदस्यों से संबंधित हैं जो

आवश्यक रूप से ऐसे सदस्य द्वारा उठाया नहीं जाता है। अतः जब

अधिनियम की धारा 80-पी के प्रावधान व्यापक छूट को स्वीकार करते हैं।

प्रावधान के दायरे में कटौती करने का कोई कारण नहीं है

असम कॉप में दर्शाया गया है। एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी मामला [1994] पूरक (2) एस. सी. सी. 96]।

19. इसलिए यह माना गया कि "कृषि उपज सदस्य" अभिव्यक्ति का वास्तव में अर्थ होगा कृषि उपज जो इसके अंतर्गत आती है।

बर्स, जिसमें द्वारा खरीदी गई कृषि उपज शामिल होगी

अन्य किसानों से। इस प्रकार, न्यायालय ने घोषणा की:

" 17. ऐसा प्रतीत होता है कि असम सहकारी समिति का निर्णय लेते समय इस न्यायालय का ध्यान उपरोक्त निर्णयों की ओर नहीं खींचा गया है। समाज

मामला [1994 सप्लीमेंट (2) एससीसी 96]। इसलिए, सम्मान के साथ, हम मानते हैं

कि उसमें लिए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है जैसा कि कहा गया है हमसे पहले। परिणामस्वरूप, असम सहकारी समिति में इस न्यायालय के निर्णय के बाद केरल उच्च न्यायालय का आदेश। समाज उलट जाता है। हमारा मानना है कि समाज द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के विपणन में लगा हुआ है।

इसके सदस्यों की कृषि उपज का अर्थ केवल ऐसी समितियाँ नहीं हैं जो सदस्यों द्वारा उगाई गई उपज से संबंधित हैं जो व्यक्ति या समितियाँ हैं जो इसके सदस्य हैं जिन्होंने कृषकों से ऐसी वस्तुएँ खरीदी हैं। इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को दरकिनार करके और निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के खिलाफ सकारात्मक रूप से हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर देकर दीवानी अपील की अनुमति देते हैं। वहाँ होगा

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

20. अब हम नागरिक मामले में इस न्यायालय के फैसले पर आते हैं।

सहकारी समिति लिमिटेड (ऊपर)। यह निर्णय एक निर्धारिती से संबंधित था जिसे शुरू में एक पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी ऋण समिति के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे आंध्र प्रदेश पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम, 1995 की धारा 5 के तहत पंजीकृत किया गया था। जैसे ही निर्धारिती का कार्य आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर के राज्यों में फैलना शुरू हुआ, निर्धारिती बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत भी पंजीकृत हो गया। न्यायालय ने स्वयं से जो प्रश्न पूछा वह यह था कि क्या अपीलार्थी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 80 पी (4) को देखते हुए कटौती का दावा करने से रोक दिया गया था-पैराग्राफ 5 देखें। उस मामले में तथ्य के निष्कर्षों को निर्धारित करने के बाद, और आयकर अधिकारियों ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि सोसायटी बैंकिंग व्यवसाय कर रही है और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक सहकारी बैंक की तरह कार्य करती है, इस न्यायालय ने तब निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 18. हम शुरुआत में ही उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अधिनियम की धारा 80-पी एक हितकारी प्रावधान है जिसे देश के आर्थिक जीवन में सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। यह सरकार की घोषित नीति के अनुसार किया गया था। इसलिए, इस तरह के प्रावधान को उदारता से पढ़ा जाना चाहिए,

उचित रूप से और निर्धारिती के पक्ष में (बजाज टेम्पो देखें)

लिमिटेड वी. सी. आई. टी. [(1992) 3 एस. सी. सी. 78]। यह भी सामान्य बात है कि इस तरह के प्रावधान का अर्थ विधायिका के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के रूप में लगाया जाना चाहिए।

और इसे हराने के लिए नहीं (सी. आई. टी. वी. देखें। महिंद्रा एंड महिंद्रा

लिमिटेड [(1983) 4 एस. सी. सी. 392])। इसलिए इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि वे सभी सहकारी समितियाँ जो इसके अंतर्गत आती हैं।

अधिनियम की धारा 80-पी की परिधि उसकी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी आय के संबंध में कटौती का हकदार है। खंड (क)

उप-धारा (2) के तहत किसी एक या अधिक व्यवसाय के लिए जिम्मेदार लाभ और लाभ की पूरी राशि से छूट दी गई है।

ऐसी गतिविधियाँ जिनका उप-धारा (2) में उल्लेख किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. चूँकि हम यहाँ उप-धारा (2) के खंड (ए) के उप-खंड (आई) से संबंधित हैं, इसलिए यह दो प्रकार की सहकारी समितियों को मान्यता देता है, अर्थात्: ((i) बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले और (ii) अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने वाले। 20. केरल राज्य सहकारी समिति में। एमकेटीजी। फेडरेशन लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. [(1998) 5 एस. सी. सी. 48], इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 80-पी के अंतर्गत आने वाले समाजों के वर्गों से निपटते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 6. अधिनियम की धारा 80-पी के अंतर्गत आने वाले समाजों के वर्ग इस प्रकार हैं: (क) बैंकिंग के व्यवसाय में लगे हुए हैं और अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं;

***

7. हम देख सकते हैं कि प्रावधान एक दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है

देश के आर्थिक जीवन में और सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना। इस खंड में उल्लिखित छूट के विभिन्न शीर्षों को पढ़ने का सही तरीका यह होगा कि प्रत्येक को छूट के एक अलग और विशिष्ट शीर्ष के रूप में माना जाए। जब भी यह सवाल उठता है कि क्या किसी सहकारी समिति की आय की किसी विशेष श्रेणी को कर से छूट है तो क्या देखना चाहिए। यह है कि क्या आय छूट के कई शीर्षों में से किसी के भीतर आती है। यदि यह छूट के किसी एक शीर्ष के अंतर्गत आता है, तो यह कर से मुक्त होगा, भले ही छूट के दूसरे शीर्ष की शर्तें पूरी नहीं होती हैं और ऐसी आय छूट के उस शीर्ष के तहत कर से मुक्त नहीं है।

21. सी. आई. टी. वी. में पंजाब राज्य सहकारी समिति। बैंक लिमिटेड [2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 2042] ने एक समान मुद्दे पर विचार करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 8. धारा 80-पी के प्रावधानों को देश के आर्थिक जीवन में सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने और सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में पेश किया गया था। छूट के विभिन्न शीर्ष धारा में सूचीबद्ध छूट के अलग और विशिष्ट शीर्ष हैं और उन्हें इस तरह माना जाना चाहिए। जब भी यह सवाल उठता है कि क्या किसी सहकारी समिति की आय की किसी विशेष श्रेणी को कर से छूट है, तो इसे मवाली सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड को देखना होगा।

वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

क्या ऐसी आय छूट के कई शीर्षों में से किसी के भीतर आती है। यदि यह छूट के किसी एक शीर्ष के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि बैंकिंग के व्यवसाय को चलाने में लगी एक सहकारी समिति और एक सहकारी समिति जो इसके लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करती है।

सदस्य इस उपखंड के तहत छूट के हकदार होंगे। सहकारी समिति द्वारा बैंकिंग का व्यवसाय चलाना या उसके सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना दो अलग-अलग प्रकार की गतिविधियाँ हैं जो इस उपखंड के अंतर्गत आती हैं।

*** 13. इसलिए, हमारे विचार में, यदि किसी समाज की आय छूट के किसी एक शीर्ष के भीतर आ रही है, तो उसे कर से छूट दी जानी चाहिए।

इसके बावजूद कि छूट के अन्य शीर्षों की शर्त

संतुष्ट नहीं हैं। अधिनियम की धारा 80-पी के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि उक्त प्रावधानों के तहत छूट को किस तरह बढ़ाया जाना चाहिए। जब भी विधायिका छूट को प्राथमिक तक सीमित रखना चाहती थी।

सहकारी समिति, यह इस प्रकार स्पष्ट किया गया था जैसा कि खंड (च) से दूध सहकारी समिति के संदर्भ में स्पष्ट है कि एक प्राथमिक

दूध की आपूर्ति में लगी सोसायटी इस तरह की छूट का हकदार है, जबकि एक संघीय दूध सहकारी समिति को इससे इनकार किया जाता है।

उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अधिनियम की धारा 80-पी के प्रावधानों का सही विश्लेषण करता है और यह केरल राज्य सहकारी समिति में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। एमकेटीजी। फेडरेशन लिमिटेड [(1998) 5 एस. सी. सी. 48]

22. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा उप-धारा (4) को शामिल करने के साथ, जो उपरोक्त प्रावधान के लिए एक परंतुक की प्रकृति में है, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कटौती किसी सहकारी बैंक को स्वीकार्य नहीं होगी। हालाँकि, यदि यह एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति या एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो भी कटौती प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, सहकारी बैंकों को अब विशेष रूप से अधिनियम की धारा 80-पी के दायरे से बाहर रखा गया है। 23. निस्संदेह, यदि किसी को 'सहकारी बैंक' की उपरोक्त परिभाषा के अनुसार जाना है, तो अपीलार्थी इसके दायरे में नहीं आता है। यह भी आम जानकारी की बात है कि एक सहकारी बैंक का व्यवसाय करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस होना अनिवार्य है, जो अपीलार्थी के पास नहीं है।

इतना ही नहीं, जैसा कि ऊपर देखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी का व्यवसाय सहकारी बैंक के बराबर नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी धारा 80-पी की उप-धारा (4) की शरारत के दायरे में नहीं आएगा।

24. अब तक बहुत अच्छा है। तथापि, यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 80-पी के तहत प्रदान की गई कटौती प्राप्त करने से अपीलार्थी को अयोग्य ठहराने का मुख्य कारण उसकी उप-धारा (4) नहीं है। अपीलार्थी की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद मूल्यांकन अधिकारी ने जो देखा है, वह यह है कि अपीलार्थी की गतिविधियाँ एम. ए. सी. एस. ए. के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, जिसके तहत इसका गठन किया गया है। आकलन अधिकारी द्वारा यह बताया जाता है कि निर्धारिती दो अलग-अलग श्रेणियों के लोगों की सेवा कर रहा है। पहली श्रेणी निवासी सदस्यों या साधारण सदस्यों की है।

अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से। इन जमाओं के एक हिस्से का उपयोग पहली श्रेणी के सदस्यों को स्वर्ण ऋण आदि देने के लिए किया जाता है। वास्तव में यह पाया गया है कि जमाकर्ता और उधारकर्ता काफी अलग हैं। वास्तव में, अपीलार्थी की ऐसी गतिविधि वित्त व्यवसाय की है और इसे सहकारी नहीं कहा जा सकता है। समाज। यह भी पाया गया है कि अपीलार्थी आम जनता को भी ऋण देने की गतिविधि में लगा हुआ है। यह सब बिना किए किया जाता है।

सोसाइटियों के पंजीयक से कोई अनुमोदन। अपीलार्थी द्वारा इस तरह की गतिविधि में संलिप्तता के साथ, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा यह टिप्पणी की जाती है कि अपीलार्थी की गतिविधि सहकारी समिति अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह एक सहकारी ऋण समिति है जो धारा 80 के तहत कटौती का हकदार नहीं है।

अधिनियम के पी (2) (ए) (आई)।

25. यह इस पृष्ठभूमि में है, एक विशिष्ट निष्कर्ष यह भी प्रस्तुत किया गया है कि तत्काल मामले में पारस्परिकता का सिद्धांत गायब है। यद्यपि निर्धारण अधिकारी के क्रम में इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है, लेकिन चर्चा के निम्नलिखित भाग पर ध्यान देने से हमारा उद्देश्य पूरा होगा:

मावेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" जैसा कि विभिन्न न्यायालयों ने कहा है कि निम्नलिखित तीन किसी गतिविधि को इसके दायरे में लाने से पहले स्थितियां मौजूद होनी चाहिए।

पारस्परिकता की अवधारणा:

((i) कि कोई भी व्यक्ति उससे कमाई नहीं कर सकता है। ((ii) लाभ की प्रेरणा;

अधिशेष में। प्रतिभागियों के लिए किसी भी तरह की आम सहमति नहीं है क्योंकि उनकी पहचान स्थापित नहीं है। अतः निर्धारिती पारस्परिकता की कसौटी को पूरा करने में विफल रहता है। सदस्यों के रूप में संदर्भित संख्या का भुगतान सोसाइटी का सदस्य नहीं हो सकता है क्योंकि सोसाइटी द्वारा ए. ओ. पी. निकाय पारस्परिकता की अवधारणा द्वारा बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाता है।

26. ये तथ्य के निष्कर्ष हैं जो उच्च न्यायालय के स्तर तक अडिग रहे हैं। एक बार जब हम उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, तो निष्कर्ष स्पष्ट है, अर्थात्, अपीलार्थी को एक सहकारी समिति के रूप में नहीं माना जा सकता है जो केवल अपने सदस्यों के लिए है और अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। हमें डर है कि ऐसा समाज अधिनियम की धारा 80-पी के लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

21. इस निर्णय के विश्लेषण से पता चलता है कि निर्णय के पैराग्राफ 5 में टोपी के सवाल का जवाब निर्धारिती के आईआर में दिया गया था। निम्नलिखित प्रस्तावों को समाप्त किया जा सकता है।

फैसला:

(I) आई. टी. अधिनियम की वह धारा 80 पी एक हितकारी प्रावधान है, जिसे संसद द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियमित किया गया था और

देश का आर्थिक जीवन और इसलिए, इसे उदारता से और निर्धारिती के पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए;

(II) कि एक बार जब निर्धारिती कटौती का लाभ उठाने का हकदार हो जाता है, तो धारा 80 पी की उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी एक या अधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यवसाय के लाभ और लाभ की पूरी राशि कटौती के रूप में दी जानी चाहिए।

(III) कि यह न्यायालय केरल राज्य सहकारी विपणन में

फेडरेशन लिमिटेड और ओआरएस। (उपर्युक्त) ने धारा 80 पी का व्यापक और उदारता से अर्थ लगाया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई संस्था कटौती के कई शीर्षों का लाभ उठाती है, और यदि वह किसी के दायरे में आती है।

कटौती का एक शीर्ष, यह कर से मुक्त होगा

इसके बावजूद कि एक अन्य प्रमुख की शर्तों

कटौती संतुष्ट नहीं है;

(IV) इसका कारण यह है कि जब विधायिका कटौती को किसी विशेष प्रकार के सहकारी समाज तक सीमित रखना चाहती थी, जैसे कि धारा 80 पी (2) (बी) दूध सहकारी समितियों से स्पष्ट होता है, तो विधायिका स्पष्ट रूप से ऐसा कहती है

जो धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के मामले में नहीं है;

(V) वह धारा 80 पी (4) धारा 80 पी (1) और (2) में निहित मुख्य प्रावधान के परन्तुक की प्रकृति की है। इस प्रावधान में विशेष रूप से केवल सहकारी बैंकों को शामिल नहीं किया गया है, जो सहकारी समितियां हैं, जिनके पास बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस होना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि उस मामले में निर्धारिती इतना लाइसेंस प्राप्त नहीं था, निर्धारिती नहीं होगा

धारा 80 पी (4) की शरारत के अंतर्गत।

22. हालाँकि, यह देखते हुए कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

राजस्व की ओर से पेश होते हुए तर्क दिया गया कि उस मामले में तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष यह थे कि निर्धारिती का अधिकांश व्यवसाय नाममात्र सदस्यों के साथ अवैध रूप से किया गया था, जो आंध्र प्रदेश अधिनियम के तहत ऐसी सोसायटी के सदस्य नहीं हो सकते थे, और यह भी विचार करते हुए कि, आम जनता को ऋण देने में लगे निर्धारिती के रूप में, इसे एक सहकारी समिति के रूप में नहीं माना जा

सकता है जो केवल अपने सदस्यों के लिए है और अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करता है, निर्धारिती की अपील विफल हो जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वकील द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया था

सिटीज़न कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) में निर्धारिती ने कहा कि आई. टी. अधिनियम के तहत मूल्यांकन अधिकारी और अन्य अधिकारी मवाली सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड में नहीं जा सकते।

वी. आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सहकारी समिति के पंजीकरण के पीछे यह पता लगाने के लिए कि क्या वह अपने उपनियमों के अनुसार व्यवसाय कर रही थी।

23. यह तय किया गया कानून है कि यह केवल एक निर्णय का अनुपात है।

यह एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी है। इस प्रकार, बी. शमा राव बनाम। केंद्र शासित प्रदेश, पांडिचेरी (1967) 2 एस. सी. आर. 650, जे. शेलट के बहुमत निर्णय ने अपने और अन्य दो विद्वान न्यायाधीशों के लिए बोलते हुए कहा:

" यह कहना तुच्छ है कि कोई निर्णय बाध्यकारी है न कि इसके कारण

निष्कर्ष लेकिन इसके अनुपात और निर्धारित सिद्धांत के संबंध में

उसमें "।

(

पृष्ठ 657 पर)

24. उड़ीसा राज्य में v. सुधांशु शेखर मिश्रा और अन्य।

(1968) 2 एस. सी. आर. 154, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है। क्या? किसी निर्णय का सार उसका अनुपात है न कि हर अवलोकन।

उसमें पाया जाता है और न ही विभिन्न से तार्किक रूप से क्या होता है

उसमें की गई टिप्पणियाँ। इस विषय पर यह है अर्ल ऑफ हैल्सबरी

" अब एलन बनाम के मामले पर चर्चा करने से पहले। बाढ़, [1898] एसी 1 और उसमें क्या तय किया गया था, एक के दो अवलोकन हैं

सामान्य चरित्र जो मैं बनाना चाहता हूँ, और एक दोहराना है

जो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, कि हर निर्णय होना चाहिए साबित किए गए या माने गए विशेष तथ्यों पर लागू होने के रूप में पढ़ें

साबित हुआ, क्योंकि अभिव्यक्तियों की व्यापकता जो पाई जा सकती है

पूरे कानून की व्याख्या करने का इरादा नहीं है, लेकिन

मामले के विशेष तथ्यों द्वारा शासित और योग्य जिसमें

इस तरह की अभिव्यक्तियाँ मिलनी चाहिए। दूसरा यह है कि केवल एक मामला है

एक प्राधिकरण जो वास्तव में क्या तय करता है। मैं पूरी तरह से इनकार करता हूं कि यह हो सकता है

एक प्रस्ताव के लिए उद्धृत किया जा सकता है जो तार्किक रूप से अनुसरण करता प्रतीत हो सकता है

यह। तर्क का ऐसा तरीका यह मानता है कि कानून आवश्यक है एक तार्किक संहिता, जबकि प्रत्येक वकील को यह स्वीकार करना चाहिए कि

कानून हमेशा तार्किक नहीं होता है।

(पृष्ठों पर 162-163)

25. असहमति में एक उज्ज्वल चर्चा पाई जाती है।

दलबीर सिंह बनाम में न्यायमूर्ति ए. पी. सेन का निर्णय। पंजाब राज्य, (1979) 3 एससीआर 1059। चूंकि असहमत निर्णय सामान्य [2021] 1 एस. सी. आर. के सिद्धांत को संदर्भित करता है।

कैशन, बहुमत द्वारा खंडन नहीं किया गया है, यह इस हिस्से को स्थापित करने के लायक है

डीगमेंट इस प्रकार है:

" सबसे बड़े सम्मान के साथ, राजेंद्र प्रसाद मामले में बहुमत का निर्णय सामान्य प्रयोज्यता का कोई कानूनी सिद्धांत निर्धारित नहीं करता है। तथ्यों के आधार पर सजा के प्रश्न पर निर्णय और किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को कभी भी एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर बहुत कम "घोषित कानून" ताकि सभी न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर बाध्य किया जा सके।

भारत का क्षेत्र। के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार

प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी तत्व होते हैं: " ((i) प्रत्यक्ष और अनुमानित भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष। तथ्यों का एक अनुमानित निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जिससे न्यायाधीश निष्कर्ष निकालता है -

प्रत्यक्ष या बोधगम्य तथ्य;

((ii) कानून पर लागू होने वाले कानून के सिद्धांतों के विवरण। तथ्यों द्वारा प्रकट की गई समस्याएं; और

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय।" स्वयं पक्षों और उनकी निजता के प्रयोजनों के लिए,

घटक (iii) इसके लिए निर्णय में भौतिक तत्व है। अंततः कार्रवाई की विषय वस्तु के संबंध में उनके अधिकारों और देनदारियों का निर्धारण करता है। यह वह निर्णय है जो पक्षों को हतोत्साहित करता है

विवाद को फिर से खोलने से। हालांकि, के उद्देश्य के लिए

पूर्ववर्ती सिद्धांत, घटक (ii) निर्णय में महत्वपूर्ण तत्व है। यह वास्तव में अनुपात का निर्धारण है। [आर. जे. वॉकर और एम. जी. वॉकर: अंग्रेजी कानूनी प्रणाली। बटरवर्थ्स, 1972, तीसरा संस्करण।,

पीपी। 123-24] यह सब कुछ नहीं है जो एक न्यायाधीश ने देते समय कहा है।

निर्णय जो एक मिसाल का गठन करता है। एक पक्ष को बाध्य करने वाले न्यायाधीश के निर्णय में एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का निर्णय लिया जाता है और इस कारण से निर्णय का विश्लेषण करना और उससे अनुपात को अलग करना महत्वपूर्ण है। प्रमुख मामले में

क्वालकास्ट (वोल्वरहैम्प्टन) लिमिटेड बनाम। हेन्स [एलआर 1959 एसी 743] यह निर्धारित किया गया था कि अनुपात निर्णय को परिभाषित किया जा सकता है

कानून का बयान उन तथ्यों द्वारा उठाई गई कानूनी समस्याओं पर लागू होता है, जिन पर निर्णय आधारित होता है। निर्णय में अन्य दो तत्व पूर्ववर्ती नहीं हैं। निर्णय बाध्यकारी नहीं है (सीधे पक्षकारों को छोड़कर), और न ही तथ्यों के निष्कर्ष हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पहले के द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रत्यक्ष तथ्य भी हैं।

मामला अदालत के समक्ष मामले के समान प्रतीत होता है,

न्यायाधीश उसी निष्कर्ष को खींचने के लिए बाध्य नहीं है जैसा कि में खींचा गया है

पहले का मामला "।

(पृष्ठों पर 1073-1074)

26. उपरोक्त निर्णयों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुपात

सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय नहीं लिया जाएगा।

यह उस मामले में तथ्यों पर आए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, मामला एक प्राधिकरण होने के नाते कि वह वास्तव में कानून में क्या निर्णय लेता है, न कि किस लिए

ऐसा लग सकता है कि यह तार्किक रूप से इसका अनुसरण करता है। इस प्रकार, केवल तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों का विवरण मामले का बाध्यकारी अनुपात है, जैसा कि ऊपर कहा गया है,

निर्णय के पैराग्राफ 18 से 23 में निहित है। पैराग्राफ 24 से 26 तक, मामले के भौतिक तथ्यों पर लागू कानून के सिद्धांत के बयानों के संयुक्त प्रभाव पर आधारित निर्णय होने के कारण निर्णय के अनुपात निर्णय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। न ही यह कहा जा सकता है कि यह तार्किक रूप से तथ्यों पर निष्कर्ष का पालन करेगा कि मूल्यांकन अधिकारी एक सोसायटी के पंजीकरण के पीछे जा सकता है और एक पर पहुंच सकता है

यह निष्कर्ष निकालना कि विचाराधीन समाज अवैध गतिविधियों को चला रहा है। केवल इसी आधार पर, इस निर्णय के बारे में पूर्ण पीठ की समझ को गलत ठहराया जाना चाहिए और इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

27. हालाँकि, इससे वर्तमान मामले में मुद्दा समाप्त नहीं होता है।

अब हम आई. टी. Act.Firstly की धारा 80 पी की उचित व्याख्या की ओर रुख करते हैं, धारा 80 पी का सीमांत नोट जिसमें लिखा है "सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती" महत्वपूर्ण है, जिसमें यह कहा गया है कि

प्रावधान के सामान्य "बहाव" को इंगित करता है। इस न्यायालय द्वारा के. पी. वर्गीज बनाम में ऐसा अभिनिर्धारित किया गया था। आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्र। (1981) 4 एस. सी. सी. 173 इस प्रकार है:

" 9. उप-धारा (2) की इस व्याख्या का दृढ़ता से समर्थन किया जाता है धारा 52 के लिए सीमांत नोट जो पढ़ता है "के लिए विचार

अल्पोक्ति के मामलों में स्थानांतरण "। निस्संदेह यह सच है कि

किसी खंड के सीमांत नोट को इस उद्देश्य के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है खंड का अर्थ लगाने के लिए लेकिन इस पर निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता है

खंड के बहाव को इंगित करते हुए या, कोलिन्स के शब्दों का उपयोग करने के लिए,

बुशेल बनाम में एम. आर. हैमंड [(1904) 2 KB 563] क्या दिखाने के लिए अनुभाग निपट रहा है। यह व्याख्या को नियंत्रित नहीं कर सकता है

किसी खंड के शब्द विशेष रूप से जब खंड की भाषा

यह स्पष्ट और स्पष्ट है लेकिन, क़ानून का हिस्सा होने के नाते, यह प्रथम [2021] 1 एस. सी. आर. है।

इसके अर्थ और उद्देश्य के बारे में कुछ सुराग देता है अनुभाग (बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम। की स्थिति

बिहार [(1955) 2 एससीआर 603] "।

28. दूसरा, कटौती के लिए पात्रता के उद्देश्यों के लिए, निर्धारिती को एक "सहकारी समिति" होना चाहिए। एक सहकारी समिति को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 (19) में परिभाषित किया गया है कि वह सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत या किसी भी राज्य में सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। इसलिए, यह केवल 1912 के अधिनियम के तहत या राज्य के तहत पंजीकृत एक सीओ ऑपरेटिव सोसाइटी के तथ्य को संदर्भित करता है।

कानून। पात्रता के उद्देश्यों के लिए, इस बारे में आगे जांच करना अनावश्यक है कि क्या सहकारी समिति को एक्स या वाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 29. तीसरा, सकल कुल आय में वह आय शामिल होनी चाहिए जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट है।

बैंकिंग का व्यवसाय करना या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना। उपखंड (2) (ए) (आई) में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सहकारी समिति को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में "संलग्न" होना चाहिए। अपने सदस्यों के लिए। जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सही ही बताया गया है, "संलग्न" अभिव्यक्ति, जैसा कि आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। पोन्नी शुगर और

केमिकल्स लिमिटेड (2008) 9 एस. सी. सी. 337, अनिवार्य रूप से मामले के सभी तथ्यों की जांच करेगा। पोन्नी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 20. धारा 80-पी (2) के तहत छूट अर्जित करने के लिए एक सहकारी समिति को यह साबित करना होगा कि उसने उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कई व्यवसायों में से किसी एक को चलाने में खुद को लगाया था। इस संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उप-धारा (2) के तहत, सहकारी समिति के संदर्भ में, संसद ने निर्धारित किया है कि
समाज को बैंकिंग का व्यवसाय करने या अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करने में लगा होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक मामले में, न्यायाधिकरण से संघ के ज्ञापन, संघ के लेख, विभाग के साथ दायर आय विवरणी, ऐसे विवरणी में इंगित व्यवसाय की स्थिति आदि की जांच करने की आवश्यकता थी। यह अभ्यास बिल्कुल भी नहीं किया गया था। द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

वी. आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

31. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केरल अधिनियम की धारा 2 (ओ. ए. ए.) के दूसरे परंतुक पर भरोसा किया और तर्क दिया कि इस तथ्य को देखते हुए कि हमारे सामने अपीलकर्ताओं का अधिकांश मुख्य उद्देश्य, यदि सभी नहीं, पूरा नहीं हुआ है, इन अपीलकर्ताओं ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों होने की सभी विशेषताओं को खो दिया है। इस निवेदन के जवाब में, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया, अर्थात्:

सहायक आयकर आयुक्त v. ए. के. मेनन और अन्य।

(1995) 5 एस. सी. सी. 200 (पैराग्राफ 4); टाइटन मेडिकल सिस्टम्स (पी) लिमिटेड v. सीमा शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली (2003) 9 एस. सी. सी. 133 (पैराग्राफ 12); और वाडिलाल केमिकल्स लिमिटेड v. ए. पी. और अन्य का राज्य। (2005) 6 एस. सी. सी. 292 (पैराग्राफ 20 से 23), इस प्रस्ताव के लिए कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अकेले आर. बी. आई. और केरल अधिनियम के तहत अकेले पंजीयक हैं, जो इस सवाल पर गौर कर सकते हैं कि क्या एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति एक सहकारी बैंक है या नहीं, और क्या प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में एक समाज का वर्गीकरण होना चाहिए।

सहकारी बैंक के रूप में जारी रखें या फिर से वर्गीकृत किया जाए। न ही कोई तर्क

इन मामलों के तथ्यों पर लागू होता है, यह देखते हुए कि शामिल वैधानिक प्रावधान के लिए अपीलकर्ताओं को धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत कटौती का दावा करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होने की आवश्यकता नहीं है।

32. पाँचवाँ, जैसा कि उदयपुर सहकारी उपभोक्ता में आयोजित किया गया है

थोक भंडार लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (2009) 8 एस. सी. सी. 393 पैराग्राफ 23 पर निर्धारिती पर यह दिखाने का बोझ है कि वह तथ्यों को जोड़कर यह दिखाने का हकदार है कि वह धारा 80P.Therefore के तहत कटौती का दावा करने का हकदार है। आई. टी. अधिनियम के तहत किसी भी पंजीकरण प्रमाणपत्र के पीछे जाना नहीं कहा जा सकता है जब वह एक तथ्य-खोज जांच में संलग्न होता है कि क्या संबंधित सहकारी समिति वास्तव में अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रही है। इस तरह की तथ्य खोज जांच (आई. टी. अधिनियम की धारा 133 (6) देखें) में सहकारी समिति के सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच करना शामिल होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वास्तव में अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। एक बार जब निर्धारिती द्वारा इस कार्य को पूरा कर लिया जाता है, तो ऐसे तथ्यों पर भरोसा करके जो यह दर्शाते हैं कि वह अपने सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, मूल्यांकन अधिकारी को तब इसकी जांच करनी चाहिए, और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि क्या यह वास्तव में ऐसा है।

33. छठा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि, जैसा कि केरल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य में आयोजित किया गया है। (ऊपर) "अपने सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान करना" अभिव्यक्ति का मतलब केवल कृषि ऋण नहीं है। धारा 80 पी एक [2021] 1 एस. सी. आर. है।

लाभकारी प्रावधान का अर्थ आम तौर पर सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए और धारा 80पी (2) (ए) (आई) की तुलना धारा 80पी (2) (ए) (iii) से (वी) से की जानी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताती है।

कृषि। इसे आगे उपखंड (बी) से भी विपरीत किया जाना चाहिए, जो केवल दूध आदि की आपूर्ति में लगे एक "प्राथमिक" समाज की बात करता है, जिससे यह परिभाषित किया जाता है कि किस प्रकार का समाज धारा 80पी (2) (ए) (आई) में निहित प्रावधानों के विपरीत कटौती का हकदार है। इसके अलावा, धारा 80पी (2) का परंतुक, जब यह उपखंड (vi) और (vii) की बात करता है, तो समाज के उस प्रकार को और प्रतिबंधित करता है जो उन दो उपखंडों में निहित कटौती का लाभ उठा सकता है।

खंड, धारा 80पी (2) (ए) (आई) में ऐसी किसी भी प्रतिबंधात्मक भाषा के विपरीत। एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि विचाराधीन सहकारी समिति श्रेय प्रदान कर रही है

अपने सदस्यों को सुविधाएं, यह तथ्य कि यह गैर-सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान कर रहा है, समाज को कटौती का लाभ उठाने से वंचित नहीं करता है। कटौती के लिए पात्रता के बीच अंतर और किसी गतिविधि के लिए लाभ और लाभ की राशि का श्रेय वास्तविक है। चूँकि गैर-सदस्यों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं से लाभ और लाभ को इसके सदस्यों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ऐसी राशि की कटौती नहीं की जा सकती है।

34. सातवाँ, धारा 80पी (1) (सी) यह भी स्पष्ट करती है कि धारा 80पी आम तौर पर सहकारी आंदोलन से संबंधित है और,

इसलिए, जिस क्षण एक सहकारी समिति 1912 के अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है, और ऐसी गतिविधियों में लगी होती है जिन्हें अवशिष्ट गतिविधियाँ कहा जा सकता है, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो उपखंडों में शामिल नहीं हैं।

(क) और (ख), या तो स्वतंत्र रूप से या उन गतिविधियों के अतिरिक्त, तो ऐसी गतिविधि के लिए जिम्मेदार लाभ और लाभ भी काटे जाने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन हैं। उप की पहुंच

ऐसे उद्देश्य केवल आंशिक रूप से किए जाते हैं, और समाज किसी भी अन्य वैध प्रकार की गतिविधि का संचालन करता है, ऐसी सहकारी समिति उपखंड (सी) के तहत केवल Rs.50,000/- की अधिकतम कटौती का हकदार होगी। 35. आठवाँ, उपखंड (घ) भी उसी दिशा में इंगित करता है, उस ब्याज या लाभांश आय में जो एक सहकारी समिति द्वारा प्राप्त की जाती है।

अन्य सहकारी समितियों के साथ निवेश भी माविली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में कटौती करने के हकदार हैं।

वी. आय कर आयुक्त, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

ऐसी संपूर्ण आय, प्रावधान का उद्देश्य समग्र रूप से सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना है।

36. धारा 80 पी (4) के प्रावधानों पर आते हुए, वित्त मंत्री के दिनांक 28.02.2006 वाले भाषण का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है, जो दर्शाता है

धारा 80 पी (4) को लागू करने की आवश्यकता। श्री पी. चिदंबरम ने विशेष रूप से कहा:

" 166. सहकारी बैंक, किसी भी अन्य बैंक की तरह, ऋण देने वाले संस्थान हैं और उन्हें अपने लाभ पर कर का भुगतान करना चाहिए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पी. ए. सी. एस.) और प्राथमिक सहकारी कृषि

और ग्रामीण विकास बैंक (पी. सी. ए. आर. डी. बी.) एक विशेष आधार पर खड़े हैं और उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कर से छूट जारी रहेगी। हालांकि, मैं अन्य सभी को बाहर करने का प्रस्ताव करता हूं।

उस खंड के दायरे से सहकारी बैंक।

37. इसी तरह, एक परिपत्र दिनांकित 28.12.2006, जिसमें व्याख्यात्मक है

वित्त अधिनियम, 2006 में निहित प्रावधानों पर टिप्पणियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, और निम्नानुसार हैं:

" कुछ सहकारी बैंकों को उपलब्ध कर लाभों की निकासी

XXX XXX XXX

22.2 . सहकारी बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई कर लाभ नहीं मिलता है। इसलिए धारा 80 पी में संशोधन किया गया है और एक नई उप-धारा (4) जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि उक्त धारा के प्रावधान प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक के संबंध में लागू नहीं होंगे। अभिव्यक्तियों का सह

ऑपरेटिव बैंक ',' प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी 'और' प्राइमरी को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक 'ने भी

उन्हें स्पष्टता देने के लिए परिभाषित किया गया है।

38. सी. बी. डी. टी. द्वारा दिनांकित एक पत्र 09.05.2008 में एक स्पष्टीकरण भी महत्वपूर्ण है, और निम्नानुसार कहता है:

" विषय: कटौती की स्वीकार्यता के बारे में स्पष्टीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 पी।

XXX XXX XXX

2. इस संबंध में, मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि धारा 80 पी की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि उक्त धारा के तहत कटौती [2021] 1 एस. सी. आर. होगी।

प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी बैंक को अनुमति नहीं होगी। उक्त उप-धारा के प्रयोजन के लिए, सहकारी बैंक का वही अर्थ होगा जो इसमें निर्दिष्ट किया गया है - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का भाग 5।

3. बैंकिंग विनियमन अधिनियम के भाग V में, "सहकारी बैंक" का अर्थ है एक राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक।

4. इस प्रकार, यदि दिल्ली सहकारी अर्बन टी एंड सी सोसाइटी लिमिटेड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग V में परिभाषित "सहकारी बैंक" के अर्थ के भीतर नहीं आता है, तो धारा 80 पी की उप-धारा (4) इस मामले में लागू नहीं होगी।

5. केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष की मंजूरी से जारी किया गया

कर "।

39. उपरोक्त सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि धारा 80 पी (4) का सीमित उद्देश्य उन सहकारी बैंकों को बाहर करना है जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान कार्य करते हैं अर्थात जो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के सदस्यों को धन उधार देते हैं।

सार्वजनिक। इस प्रकार, यदि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को अब देखा जाए, तो धारा 56 के साथ पठित धारा 3 से जो स्पष्ट है वह यह है कि एक प्राथमिक सहकारी बैंक एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) द्वारा परिभाषित बैंकिंग के व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए, जिसका अर्थ है जनता से धन की जमा राशि को ऋण या निवेश के उद्देश्य से स्वीकार करना। इसी तरह, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) (बी) के तहत, जो सहकारी समितियों पर लागू होती है, कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी, जब तक कि वह एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो। इसके विपरीत, एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति एक सहकारी समिति है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय आवास प्रदान करना है।

अपने सदस्यों को कृषि उद्देश्यों के लिए या कृषि गतिविधियों से जुड़े उद्देश्यों के लिए। 40. वास्तव में, कुछ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया, क्योंकि उनके उपनियमों में बैंकिंग के व्यवसाय को जारी रखना भी सोसायटी के उद्देश्यों में से एक है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25.10.2013 दिनांकित एक पत्र में इस प्रकार अस्वीकार कर दिया गया था:

मावेली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" लाइसेंस के लिए आवेदन कृपया 10 अप्रैल, 2013 के अपने आवेदन का अनुरोध देखें।

बैंकिंग लाइसेंस। आवेदन की जांच करने पर, हम देखते हैं कि आप एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति के रूप में पंजीकृत हैं

(पीएसीएस)। इस संबंध में, हमने आर. सी. एस. को यू. बी. डी. दिनांकित पत्र के माध्यम से सलाह दी है

(टी) संख्या 401/10.00/16A/2013-14 दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (ए. ए. सी. एस.) की धारा 3 के संदर्भ में, पी. ए. सी. एस. बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। इसलिए आपकी सोसायटी रिजर्व बैंक के दायरे में नहीं आती है।

भारत से। आर. सी. एस. इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगा।

41. कई निर्णयों में कहा गया है कि एक परंतुक नहीं हो सकता है

मुख्य अधिनियम की भाषा में कटौती करने के लिए जहां

आयु स्पष्ट है, या निहितार्थ से बाहर करने के लिए जो मुख्य अधिनियम में कहा गया है। इस प्रकार, सी. आई. टी., मैसूर बनाम. इंडो मर्केंटाइल बैंक 1959-(2) एससीआर 256, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" परंतुक का उचित कार्य यह है कि यह एक अपवाद प्रदान करके और बाहर निकालकर मुख्य अधिनियम की व्यापकता को योग्य बनाता है।

जैसा कि यह मुख्य अधिनियम से एक हिस्सा था, जो परंतुक के लिए मुख्य अधिनियम के भीतर आता है। आम तौर पर किसी परंतुक के उचित कार्य के लिए इसे परिशिष्ट के माध्यम से कुछ प्रदान करने या किसी ऐसे विषय से निपटने के रूप में पढ़ना विदेशी है जो मुख्य अधिनियम के लिए विदेशी है। " यह निर्माण का एक मौलिक नियम है कि एक परंतुक पर उस प्रमुख मामले के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह एक परंतुक के रूप में खड़ा है। इसलिए यह होना चाहिए मुख्य अधिनियम के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा गया। (प्रति दास, सी. जे.) अब्दुल जबर बट बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य [(1957) एस. सी. आर. 51,59]। भगवती, जे., राम नारायण संस लिमिटेड बनाम। सहायक

बिक्री कर आयुक्त [(1955) 2 एससीआर 483,493] ने कहाः

" यह व्याख्या का एक प्रमुख नियम है कि एक क़ानून के एक विशेष प्रावधान के लिए एक परंतुक केवल उस क्षेत्र को शामिल करता है जो मुख्य प्रावधान द्वारा कवर किया गया है। यह उस मुख्य प्रावधान के

लिए एक अपवाद बनाता है जिसके लिए इसे एक परंतुक के रूप में अधिनियमित किया गया है और किसी अन्य के लिए नहीं।

मद्रास और दक्षिणी महाराष्ट्र रेलवे में लॉर्ड मैकमिलन

को. वी. बेजवाड़ा नगरपालिका [(1944) एल. आर. 71 आई. ए. 113,122]

एक परंतुक के क्षेत्र को निम्नानुसार नीचे दें:

" एक परंतुक का उचित कार्य एक को छोड़कर और उससे निपटना है

मामला जो अन्यथा सामान्य भाषा के अंतर्गत आता है

मुख्य अधिनियम और इसका प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है। कहाँ,

जैसा कि वर्तमान मामले में, मुख्य अधिनियम की भाषा है स्पष्ट और असंदिग्ध, एक परंतुक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है

निहितार्थ द्वारा जो स्पष्ट रूप से इसकी स्पष्ट शर्तों के भीतर आता है। अतः परंतुक का क्षेत्र एक अपवाद तैयार करना है -

मुख्य अधिनियमन और कुछ ऐसा बाहर करना जो अन्यथा होगा अनुभाग के भीतर रहे हैं। इसे उसी क्षेत्र में काम करना पड़ता है।

और यदि मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट है तो यह नहीं हो सकता है

मुख्य अधिनियम की व्याख्या करने के उद्देश्य से या

अधिनियम जो स्पष्ट रूप से कहता है उसे निहितार्थ से बाहर करें जब तक कि

परंतुक के शब्द ऐसे हैं कि यह इसका आवश्यक प्रभाव है। (कॉरपोरेशन ऑफ सिटी ऑफ टोरंटो बनाम। अटॉर्नी-जनरल

कनाडा के लिए [(1946) एसी 32,37]।"

(पृष्ठ 266-267

पर)

42. समान प्रभाव के लिए, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ

होवांदास हरिभाई तंबोली बनाम। गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण

1) 3 एस. सी. सी. 442 आयोजित:

मुख्य प्रावधान द्वारा। यह मुख्य के लिए एक अपवाद बनाता है प्रावधान जिसके लिए इसे परंतुक द्वारा अधिनियमित किया गया है और नहीं

अन्य। परंतुक का उचित कार्य अपवाद करना और उससे निपटना है। एक मामला जो अन्यथा सामान्य भाषा के अंतर्गत आता है

मुख्य अधिनियम, और इसका प्रभाव उस मामले तक ही सीमित है। कहाँ?

मुख्य अधिनियम की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है,

परंतुक की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है

मुख्य अधिनियम, ताकि इससे बाहर किया जा सके, निहितार्थ द्वारा क्या

स्पष्ट रूप से इसकी स्पष्ट शर्तों के भीतर आता है। परंतुक का दायरा,

इसलिए, मुख्य अधिनियम के लिए एक अपवाद तैयार करना है और

इसमें कुछ ऐसा शामिल नहीं है जो अन्यथा इसके भीतर होता।

नियम है। इसे उसी क्षेत्र में काम करना है और यदि भाषा

मुख्य अधिनियम स्पष्ट है, परंतुक को अलग नहीं किया जा सकता है

मुख्य अधिनियम और न ही इसका उपयोग निहितार्थ द्वारा रद्द करने के लिए किया जा सकता है

अधिनियम स्पष्ट रूप से क्या कहता है और न ही वास्तविक उद्देश्य माविली सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड को शून्य पर सेट करता है।

वी.

आय कर मिशनर, कालीकट [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मुख्य अधिनियम का, जब तक कि परंतुक के शब्द ऐसे न हों कि यह इसका आवश्यक प्रभाव हो।

43. अन्य दो-जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में न्यायाधीश पीठ। कारखानों और बॉयलरों के मुख्य निर्माता (1996) 6 एस. सी. सी. 665 ने तब घोषणा की:

" 33. कानून में किसी प्रावधान के प्रावधान के कई कार्य होते हैं और कानून के प्रावधान की व्याख्या करते समय, अदालत को सावधानीपूर्वक जांच करने और प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने की आवश्यकता होती है।

उस प्रावधान के साथ जोड़ा गया। यह किसी परंतुक की व्याख्या का उचित नियम नहीं है कि धारा के अधिनियमित करने वाले भाग या मुख्य भाग का पहले परंतुक के संदर्भ के बिना अर्थ लगाया जाए और यदि वह अस्पष्ट पाया जाता है तो ही उस परंतुक की जांच करने के लिए सहारा लिया जा सकता है जैसा कि हमारे सामने प्रचार किया गया है। दूसरी ओर व्याख्या का एक स्वीकृत नियम यह है कि एक धारा और उसके परंतुक का समग्र रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए, प्रत्येक भाग प्रकाश डालता है,

यदि आवश्यक हो, तो बाकी पर। एक परंतुक का उपयोग आम तौर पर सामान्य अधिनियम से विशेष मामलों को हटाने और उनके लिए विशेष रूप से प्रदान करने के लिए किया जाता है।

34. एक परंतुक एक अपवाद प्रदान करके और मुख्य प्रावधान से एक भाग निकालकर मुख्य अधिनियम की व्यापकता को योग्य बनाता है, जो परंतुक के लिए मुख्य प्रावधान का एक हिस्सा होगा। इसलिए, एक परंतुक पर उस प्रमुख मामले के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह एक परंतुक के रूप में खड़ा है। एक परंतुक को मुख्य प्रावधान के अतिरिक्त कुछ प्रदान करने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए जो मुख्य प्रावधान के लिए ही विदेशी है।

35. वास्तव में, कुछ मामलों में, एक परंतुक, मुख्य प्रावधान के लिए एक अपवाद हो सकता है, हालांकि यह जो है उसके साथ असंगत नहीं हो सकता है।

मुख्य प्रावधान में व्यक्त किया गया है और यदि ऐसा है, तो यह मुख्य प्रावधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और इसे निरस्त कर दिया जाएगा। एक सामान्य नियम के रूप में एक परंतुक वाले अधिनियम का अर्थ लगाने के लिए, प्रावधानों में से किसी को भी अनावश्यक बनाए बिना एक साथ अर्थ लगाना उचित है।

या ओटियोस। यहां तक कि जहां अधिनियमित करने वाला भाग स्पष्ट है, वहां भी इस दृष्टिकोण से परंतुक को अर्थ देने का प्रयास करना वांछनीय है -

इसकी आवश्यकता को उचित ठहराएँ।

36. एक परंतुक के उचित कार्य पर विचार करते हुए, यह न्यायालय सी. आई. टी. v. इंडो मर्कैंटाइल बैंक लिमिटेड [ए. आई. आर 1959 एस. सी. 713: (1959)

36 आई. टी. आर. 1] ने कहाः

" परंतुक का उचित कार्य यह है कि यह एक अपवाद प्रदान करके और बाहर निकालकर मुख्य अधिनियम की व्यापकता को योग्य बनाता है।

जैसा कि यह मुख्य अधिनियम से एक हिस्सा था, जो परंतुक के लिए मुख्य अधिनियम के भीतर आता है। आम तौर पर किसी परंतुक के उचित कार्य के लिए इसे परिशिष्ट के माध्यम से कुछ प्रदान करने या किसी ऐसे विषय से निपटने के रूप में पढ़ना विदेशी है जो मुख्य अधिनियम के लिए विदेशी है।

यह दृश्य आज तक मैदान में बना हुआ है।

44. हाल ही में, भारत संघ बनाम. दिलीप कुमार सिंह

5) 4 एस. सी. सी. 421, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 20. समान रूप से, यह तय किया गया कानून है कि एक परंतुक उस प्रावधान से आगे नहीं जाता है जिसके लिए वह एक परंतुक है। इसलिए सुनहरा नियम यह है कि परंतुक सहित पूरे खंड को इस तरह से पढ़ा जाए

कि वे पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर प्रकाश डालते हैं और परिणामस्वरूप एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण। यह द्वारका में स्थित है।

प्रसाद वी. द्वारका दास सराफ [(1976) 1 एस. सी. सी. 128], निम्नानुसार है:

" 18. हम निष्पक्षता से परामर्श देने के लिए उल्लेख कर सकते हैं कि अन्य निर्णयों के अलावा, क़ानूनों में प्रावधानों के उपयोग पर बार में निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया गया था: सी. आई. टी वी. इंडो-मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 713]; राम नारायण संस लिमिटेड बनाम। सीएसटी [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 765] ; थॉम्पसन वी। डिबदीन [1912 ए. सी. 533], ए. सी. पी.

541 ; आर. वी. डिबदीन [1910 पी 57 (सीए)], और तहसीलदार सिंह बनाम। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012] कानून तुच्छ है। एक परंतुक अधिनियमन खंड के विषय-वस्तु तक सीमित होना चाहिए। यह निर्माण का एक तय नियम है कि एक परंतुक को प्रथम दृष्टया पढ़ा जाना चाहिए और उस प्रमुख मामले के संबंध में विचार किया जाता है जिसके लिए यह एक परंतुक है।

यह एक अलग या स्वतंत्र अधिनियम नहीं है। शब्द हैं -

यह मुख्य अधिनियमित करने वाले शब्दों पर निर्भर करता है जिन पर उन्हें परंतुक के रूप में रखा जाता है। उन्हें उनके संदर्भ से तलाकशुदा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है '(थॉम्पसन बनाम। डिबदीन [1912 ए. सी. 533])। अगर निर्माण का नियम

यह है कि प्रथम दृष्टया एक परंतुक अपने संचालन में विषय तक सीमित होना चाहिए-अधिनियमन खंड की बात, हमने जो रुख अपनाया है वह सही है। परंतुक द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर अधिनियमित खंड का विस्तार करने के लिए, निर्माण के मौलिक नियम के खिलाफ पाप है कि एक परंतुक पर उस प्रमुख मामले के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए यह एक परंतुक के रूप में खड़ा है। एक परंतुक आम तौर पर एक परंतुक होता है, हालांकि सुनहरा नियम पूरे खंड को पढ़ना है, जिसमें परंतुक, द मवाली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है।

एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण में परिणाम "।

45. संक्षेप में, इसलिए, नागरिक का अनुपात तय करता है

सहकारी समिति लिमिटेड (उपरोक्त) को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी, संसद द्वारा अधिनियमित एक हितकारी प्रावधान है सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र के ऋण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए इसे उदारतापूर्वक और यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि कोई अस्पष्टता है, तो निर्धारिती के पक्ष में। किसी भी प्रतिबंध या सीमा के संदर्भ के बिना दी गई कटौती को निहितार्थ द्वारा प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में राजस्व द्वारा किया जाना चाहिए।

धारा 80 पी (2) (ए) (आई) में "कृषि" शब्द तब दिया जाता है जब वह नहीं होता है। इसके अलावा, धारा 80 पी (4) को एक परंतुक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो अब विशेष रूप से परंतुक है

सहकारी बैंक उन सहकारी समितियों को शामिल नहीं करते हैं जो बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई हैं अर्थात जनता के सदस्यों को धन उधार देने में लगी हुई हैं, जिनके पास भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में लाइसेंस है। इस कसौटी को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि सिटिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अध्ययन में विवादित पूर्ण पीठ का निर्णय पूरी तरह से गलत है। (ऊपर)। स्पष्ट रूप से, इसलिए, एक बार जब धारा 80 पी (4) नुकसान के रास्ते से बाहर हो जाती है, तो वर्तमान मामले में सभी निर्धारिती धारा 80 पी (2) (ए) (आई) में निहित कटौती के लाभ के हकदार हैं, भले ही वे अपने सदस्यों को ऐसे ऋण भी दे रहे हों जो कृषि से संबंधित नहीं हैं। साथ ही,

यदि यह पाया जाता है कि गैर-सदस्यों को ऋण दिए जाने के उदाहरण हैं, तो ऐसे ऋणों के कारण होने वाले लाभ में स्पष्ट रूप से कटौती नहीं की जा सकती है।

46. यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि आंध्र अधिनियम के विपरीत जिस पर नागरिक सहकारी समिति लिमिटेड (ऊपर) ने विचार किया, 'नाममात्र'।

केरल अधिनियम के तहत परिभाषित सदस्य 'सदस्य' हैं। यह न्यायालय यू. पी. कोऑपरेटिव केन यूनियन फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ बनाम आयकर आयुक्त, लखनऊ-I (1997) 11 एस. सी. सी. 287 ने आई. टी. अधिनियम की धारा 80 पी का उल्लेख किया और फिर अभिनिर्धारित किया:

" 8. अधिनियम में "सदस्य" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। चूंकि ए.

के प्रावधानों के तहत सहकारी समिति की स्थापना की जानी चाहिए उस संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, धारा 80-पी (2) (ए) (आई) में "सदस्य" पद का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

राज्य द्वारा अधिनियमित कानून के प्रावधानों के संदर्भ में

विधानमंडल जिसके तहत सहकारी समिति दावा करती है

छूट दी गई है। इसलिए, [2021] 1 एस. सी. आर. में अधिनियम की धारा 80-पी (2) (ए) (आई) में "सदस्य" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाना आवश्यक है।

सहकारी समिति अधिनियम की धारा 2 (एन) में निहित उस अभिव्यक्ति की परिभाषा का प्रकाश। उक्त प्रावधान में कहा गया है -

निम्नानुसार:

" 2. (एन) 'सदस्य' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सोसायटी के पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल हुआ हो या इस अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पंजीकरण के बाद सदस्यता के लिए भर्ती किया गया हो, लेकिन किसी अधिकार या शक्ति के कब्जे या प्रयोग के संबंध में इस अधिनियम में कहीं भी 'सदस्यों' के लिए एक संदर्भ या किसी दायित्व या कर्तव्य के अस्तित्व या निर्वहन में निम्नलिखित संदर्भ शामिल नहीं होंगे:

सदस्यों का कोई भी वर्ग जिसके पास इस अधिनियम के प्रावधानों के कारण ऐसा अधिकार या शक्ति नहीं है या जिसका ऐसा कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं है;

केरल अधिनियम के तहत 'सदस्य' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नाममात्र सदस्यों को दिए गए ऋण कटौती के उद्देश्य के लिए योग्य होंगे।

धारा 80 पी (2) (ए) (आई) के तहत।

47. इसके अलावा, नागरिक सहकारी समिति के तथ्यों के विपरीत

लिमिटेड (ऊपर), केरल अधिनियम धारा 59 (2) और (3) के तहत गैर-सदस्यों को स्पष्ट रूप से ऋण की अनुमति देता है, जो इस प्रकार है:

" 59. ऋणों पर प्रतिबंध। - (1) सोसायटी ऋण नहीं देगी।

एक सदस्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए: बशर्ते कि उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा

केरल राज्य सहकारी बैंक।

बशर्ते कि, की सामान्य या विशेष मंजूरी के साथ

(3) उप-धारा (2) के तहत सदस्यों या गैर-सदस्यों को ऋण देना और उनकी वसूली उसी तरीके से की जाएगी जो हो सके: पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट।

इस प्रकार, प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा गैर-सदस्यों को ऋण देना अवैध नहीं है, जैसा कि नागरिक सहकारी समिति के तथ्यों में बताया गया है। सोसायटी लिमिटेड (ऊपर)।

48. नतीजतन, विवादित पूर्ण पीठ के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलों और सभी लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। ये इस फैसले के आलोक में गुण-दोष के आधार पर निपटारे के लिए केरल उच्च न्यायालय की उपयुक्त पीठों के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपी

लों को खारिज कर दिया गया।